56

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

छप्पनवां प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध

(स्वीकार किये गये)

15/03/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना	(v)
प्राक्कथन	(vi)
प्रतिवेदन	1-6
परिशिष्टए-एक. आश्वालसनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्नध मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों जिन पर समिति द्वारा 28 सितंबर, 2021 को हुई बैठक में विचार किया गया, का सार दर्शाने वाला विवरण	7-12
परिशिष्टए- दो से सत्रह	

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)

II.	(i) 'भूमि सुधार' विषय से संबंधित दिनांक 17.07.2009 का अता.प्र.सं.1903	13-50
	(ii) 'भूमि सुधार में उपलब्धि' विषय से संबंधित दिनांक 23.11.2009 का अता.प्र.सं. 462	
	(iii) 'भूमि सुधार नीति ' विषय से संबंधित दिनांक 23.11.2009 का अता.प्र.सं517.	
	(iv) 'कृषि भूमि सुधार संबंधी समिति ' विषय से संबंधित दिनांक 23.11.2009 का अता.प्र.सं. 563	
	(v) 'एस ई जेड के लिए भूमि का अधिग्रहण' विषय से संबंधित दिनांक 16.08.2010 का अता.प्र.सं. 3448	
	(vi) 'भूमि का अंतरण' विषय से संबंधित दिनांक 16.08.2010का अता.प्र.सं. 3620	

(vii) 'कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण ' विषय से संबंधित दिनांक 22.11.2010 का अता.प्र.सं.1950

(viii) 'जनजातीय क्षेत्रों में संसाधन ' विषय से संबंधित दिनांक 06.12.2010 का अता.प्र.सं. 4200

(ix) 'भू-हदबंदी ' विषय से संबंधित दिनांक 06.12.2010 का अता.प्र.सं.4331

(x) 'भूमि सुधार ' विषय से संबंधित दिनांक 18.08.2011 का अता.प्र.सं. 2945

(xi) 'ठेका कृषि ' विषय से संबंधित दिनांक 30.08.2011 का अता.प्र.सं.4444

(xii) 'भूमि बैंक ' विषय से संबंधित दिनांक 15.12.2011 का अता.प्र.सं. 3621

(xiii) 'भूमि सुधार संबंधी समिति ' विषय से संबंधित दिनांक 29.03.2012 का अता.प्र.सं. 2646

(xiv) 'भूमिहीन लोगों को भू-आबंटन ' विषय से संबंधित दिनांक 17.05.2012 का अता.प्र.सं.6739

(xv) 'भूमि सुधार हेतु राष्ट्रीय परिषद' विषय से संबंधित दिनांक 09.08.2012 का अता.प्र.सं. 302

(xvi) 'भूमि सुधार अधिनियम ' विषय से संबंधित दिनांक 06.09.2012 का अता.प्र.सं. 4352

(xvii) 'भूमि सुधार नीति ' विषय से संबंधित दिनांक 29.11.2012 का अता.प्र.सं. 1014

(xviii) 'भूमि सुधार नीति ' विषय से संबंधित दिनांक 12.12.2013 का अता.प्र.सं. 1261

(xix) 'बंजर भूमि का विकास ' विषय से संबंधित दिनांक 13.02.2014 का अता.प्र.सं. 3688

(xx) 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' विषय से संबंधित दिनांक 20.02.2014 का अता.प्र.सं. 4231

(xxi) 'गरीबों को भूमि का आबंटन ' विषय से संबंधित दिनांक 12.03.2015 का अता.प्र.सं. 2723

(xxii) 'भूमि सुधार ' विषय से संबंधित दिनांक 15.03.2018 का ता.प्र.सं. 294

(xxiii) 'राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति 2013 ' विषय से संबंधित दिनांक 20.09.2020 का अता.प्र.सं.1398

III. 'हरीपुर से एन पी पी को अन्य स्थान पर ले जाना ' विषय से संबंधित दिनांक 16.03.2016 का अता.प्र.सं.2997 51-54

IV. 'यूरेनियम और प्लूटोनियम की खोज ' विषय से संबंधित दिनांक 18.08.2010 का अता.प्र.सं. 4112 55-58

V. (i) 'निजता का अधिकार संबंधी विधेयक ' विषय से संबंधित दिनांक 28.03.2012 का अता.प्र.सं. 2410 59-67

(ii) 'निजता का अधिकार विधेयक ' विषय से संबंधित दिनांक 16.05.2012 अता.प्र.सं. 6496

(iii) 'निजता का एक पृथक विधेयक ' विषय से संबंधित दिनांक 12.12.2012 का अता.प्र.सं. 3201

(iv) 'व्यक्तियों की निजता संबंधी पैनल' विषय से संबंधित दिनांक 19.12.2012 का अता.प्र.सं. 4154

(v) 'निजता का अधिकार विधेयक से छूट ' 'विषय से संबंधित' दिनांक 09.12.2015 का अता.प्र.सं. 1714

VI. 'नई राष्ट्रीय ऑटो नीति ' विषय से संबंधित दिनांक 09.07.2019 का अता.प्र.सं. 2536 68-69

VII. 'बैटरी चालित रथ ' विषय से संबंधित दिनांक 08.05.2015 का अता.प्र.सं. 7114 70-71

VIII. 'कोरोना महामारी के कारण आर्थिक क्षति ' विषय से संबंधित दिनांक 15.09.2020 का अता.प्र.सं. 402 72-76

IX. 'रेल परियोजनाएं' विषय से संबंधित दिनांक 27.11.2019 का ता.प्र.सं. 130 (श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक 77-85

' आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

प्रश्न)

X. * 'ब्रॉड गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य' विषय से संबंधित दिनांक 17.07.2019 अता.प्र.सं. 3988 86-88

XI. 'रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन' विषय से संबंधित दिनांक 04.05.2016 का अता.प्र.सं. 1760 89-91

XII. 'तेजस एक्सप्रेस ' विषय से संबंधित दिनांक 26.07.2017 का अता.प्र.सं. 1663 92-95

XIII. 'तेल्लीचेरी- मैसूर रेल लाइन ' विषय से संबंधित दिनांक 02.01.2019 का अता.प्र.सं. 3669 96-97

XIV. 'रेलवे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज ' विषय से संबंधित दिनांक 10.05.2012 का अता.प्र.सं 5631 98-101

XV. 28 सितंबर, 2021 को हुई सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-21) की बैठक का कार्यवाही-सारांश 102-108

XVI. 20 दिसम्बर, 2021 को हुई सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही-सारांश 109-110

XVII. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-21) की संरचना 111

* आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
की संरचना
(2021-2022)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पाण्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202.

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह छप्पनवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-21) ने 28 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 47 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध वाले ज्ञापन संख्या 89 से 108 पर विचार किया और 39 आश्वासनों को छोड़ने का निर्णय लिया ।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 20 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं ।

नई दिल्ली;
21 दिसंबर, 2021
अग्रहायण 30, 1943(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्यवाही करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन एवं वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है । यदि मंत्रालय किसी भी आधार पर आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण- अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-21) ने 28 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 47 लंबित आश्वासनों को छोड़ने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले बीस ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया ।

3. मंत्रालयों/विभागों के अनुरोधों पर विचार करने के पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 39 आश्वासनों को छोड़ने का निर्णय लिया:-

क्रम सं.	ता.प्र.सं../अता.प्र.सं. एवं तिथि	मंत्रालय	विषय
1	(i) अता.प्र.सं. 1903 दिनांक 17.07.2009 (ii) अता.प्र.सं. 462 दिनांक 23.11.2009	ग्रामीण विकास (भूमि संसाधन विभाग)	(i) भूमि सुधार (ii) भूमि सुधार में उपलब्धि

क्रम सं.	ता.प्र.सं../अता.प्र.सं. एवं तिथि	मंत्रालय	विषय
	(iii) अता.प्र.सं. 517 दिनांक 23.11.2009		(iii) भूमि सुधार नीति
	(iv) अता.प्र.सं. 563 दिनांक 23.11.2009		(iv) कृषि भूमि सुधार संबंधी समिति
	(v) अता.प्र.सं. 3448 दिनांक 16.08.2010		(v) एसईजेड के लिए भूमि का अधिग्रहण
	(vi) अता.प्र.सं. 3620 दिनांक 16.08.2010		(vi) भूमि का अंतरण
	(vii) अता.प्र.सं. 1950 दिनांक 22.11.2010		(vii) कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण
	(viii) अता.प्र.सं. 4200 दिनांक 06.12.2010		(viii) जनजातीय क्षेत्रों में संसाधन
	(ix) अता.प्र.सं. 4331 दिनांक 06.12.2010		(ix) भू- हदबंदी
	(x) अता.प्र.सं. 2945 दिनांक 18.08.2011		(x) भूमि सुधार
	(xi) अता.प्र.सं. 4444 दिनांक 30.08.2011		(xi) ठेका कृषि
	(xii) अता.प्र.सं. 3621 दिनांक 15.12.2011		(xii) भूमि बैंक
	(xiii) अता.प्र.सं. 2646 दिनांक 29.03.2012		(xiii) भूमि सुधार संबंधी समिति
	(xiv) अता.प्र.सं. 6739 दिनांक 17.05.2012		(xiv) भूमिहीन लोगों को भू-आबंटन

क्रम सं.	ता.प्र.सं../अता.प्र.सं. एवं तिथि	मंत्रालय	विषय
	(xv) अता.प्र.सं. 302 दिनांक 09.08.2012 (xvi) अता.प्र.सं. 4352 दिनांक 06.09.2012 (xvii) अता.प्र.सं. 1014 दिनांक 29.11.2012 (xviii) अता.प्र.सं. 1261 दिनांक 12.12.2013 (xix) अता.प्र.सं. 3688 दिनांक 13.02.2014 (xx) अता.प्र.सं. 4231 दिनांक 20.02.2014 (xxi) अता.प्र.सं. 2723 दिनांक 12.03.2015 (xxii) ता.प्र.सं. 294 दिनांक 15.03.2018 (xxiii) अता.प्र.सं. 1398 दिनांक 20.09.2020		(xv) भूमि सुधार हेतु राष्ट्रीय परिषद (xvi) भूमि सुधार अधिनियम (xvii) भूमि सुधार नीति (xviii) भूमि सुधार नीति (xix) बंजर भूमि का विकास (xx) राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद (xxi) गरीबों को भूमि का आबंटन (xxii) भूमि सुधार (xxiii) राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति 2013 (परिशिष्ट-दो)
2	अता.प्र.सं. 2997 दिनांक 16.03.2016	परमाणु ऊर्जा विभाग	हरीपुर से एनपीपी को अन्य स्थान पर ले जाना (परिशिष्ट-तीन)

क्रम सं.	ता.प्र.सं../अता.प्र.सं. एवं तिथि	मंत्रालय	विषय
3	अता.प्र.सं. 4112 दिनांक 18.08.2010	परमाणु ऊर्जा विभाग	यूरेनियम एवं प्लूटोनियम की खोज (परिशिष्ट-चार)
4*	(i) अता.प्र.सं. 2410 दिनांक 28.03.2012 (ii) अता.प्र.सं. 6496 दिनांक 16.05.2012 (iii) अता.प्र.सं. 3201 दिनांक 12.12.2012 (iv) अता.प्र.सं. 4154 दिनांक 19.12.2012 (v) अता.प्र.सं. 1714 दिनांक 09.12.2015	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	(i) निजता का अधिकार संबंधी विधेयक (ii) निजता का अधिकार विधेयक (iii) निजता पर एक पृथक विधेयक (iv) व्यक्तियों की निजता संबंधी पैनल (v) निजता का अधिकार विधेयक से छूट (परिशिष्ट-पाँच)
5	अता.प्र.सं. 2536 दिनांक 09.07.2019	भारी उद्योग	नई राष्ट्रीय ऑटो नीति (परिशिष्ट-छह)

* आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं.	ता.प्र.सं./अता.प्र.सं. एवं तिथि	मंत्रालय	विषय
6	अता.प्र.सं. 7114 दिनांक 08.05.2015	रक्षा (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)	बैटरी चालित रथ (परिशिष्ट-सात)
7	अता.प्र.सं. 402 दिनांक 15.09.2020	ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास विभाग)	कोरोना महामारी के कारण आर्थिक क्षति (परिशिष्ट-आठ)
8	ता.प्र.सं. 130 दिनांक 27.11.2019 (श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेलवे	रेल परियोजनाएं (परिशिष्ट-नौ)
9*	अता.प्र.सं. 3988 दिनांक 17.07.2019	रेलवे	ब्रॉड गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य (परिशिष्ट-दस)
10	अता.प्र.सं. 1760 दिनांक 04.05.2016	रेलवे	रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन (परिशिष्ट-ग्यारह)
11	अता.प्र.सं. 1663 दिनांक 26.07.2017	रेलवे	तेजस एक्सप्रेस (परिशिष्ट-बारह)
12	अता.प्र.सं. 3669 दिनांक 02.01.2019	रेलवे	तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन (परिशिष्ट-तेरह)
13	अता.प्र.सं. 5631 दिनांक 10.05.2012	रेलवे	रेलवे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज (परिशिष्ट-चौदह)

*आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

4. उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों तथा उपर्युक्त 39 आश्वासनों को छोड़ने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों का ब्यौरा परिशिष्ट - दो से चौदह में दिया गया है।

5. समिति की 28 सितंबर, 2021 को हुई बैठक जिसमें आश्वासन छोड़ने के अनुरोधों पर विचार किया गया, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट- पंद्रह में दिया गया है।

नई दिल्ली;
21 दिसंबर, 2021
अग्रहायण 30, 1943(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021)

आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों जिन पर समिति द्वारा 28 सितंबर, 2021 को विचार किया गया, का सार दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	89	(i) अता.प्र.सं. 1903 दिनांक 17.07.2009 (ii) अता.प्र.सं. 462 दिनांक 23.11.2009 (iii) अता.प्र.सं. 517 दिनांक 23.11.2009 (iv) अता.प्र.सं. 563 दिनांक 23.11.2009 (v) अता.प्र.सं. 3448 दिनांक 16.08.2010 (vi) अता.प्र.सं. 3620 दिनांक 16.08.2010 (vii) अता.प्र.सं. 1950 दिनांक 22.11.2010 (viii) अता.प्र.सं. 4200	ग्रामीण विकास	भूमि संसाधन विभाग	(i) भूमि सुधार (ii) भूमि सुधार में उपलब्धि (iii) भूमि सुधार नीति (iv) कृषि भूमि सुधार संबंधी समिति (v) एसईज़ेड के लिए भूमि का अधिग्रहण (vi) भूमि का अंतरण (vii) कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण (viii) जनजातीय

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
		दिनांक 06.12.2010 (ix) अता.प्र.सं. 4331 दिनांक 06.12.2010 (x) अता.प्र.सं. 2945 दिनांक 18.08.2011 (xi) अता.प्र.सं. 4444 दिनांक 30.08.2011 (xii) अता.प्र.सं. 3621 दिनांक 15.12.2011 (xiii) अता.प्र.सं. 2646 दिनांक 29.03.2012 (xiv) अता.प्र.सं. 6739 दिनांक 17.05.2012 (xv) अता.प्र.सं. 302 दिनांक 09.08.2012 (xvi) अता.प्र.सं. 4352 दिनांक 06.09.2012 (xvii) अता.प्र.सं. 1014 दिनांक 29.11.2012 (xviii) अता.प्र.सं. 1261 दिनांक 12.12.2013			क्षेत्रों में संसाधन (ix) भू- हदबंदी (x) भूमि सुधार (xi) ठेका कृषि (xii) भूमि बैंक (xiii) भूमि सुधार संबंधी समिति (xiv) भूमिहीन लोगों को भू-आबंटन (xv) भूमि सुधार हेतु राष्ट्रीय परिषद (xvi) भूमि सुधार अधिनियम (xvii) भूमि सुधार नीति (xviii) भूमि सुधार नीति

क्रम सं.	लापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
		(xix) अता.प्र.सं. 3688 दिनांक 13.02.2014 (xx) अता.प्र.सं. 4231 दिनांक 20.02.2014 (xxi) अता.प्र.सं. 2723 दिनांक 12.03.2015 (xxii) ता.प्र.सं. 294 दिनांक 15.03.2018 (xxiii) अता.प्र.सं. 1398 दिनांक 20.09.2020			(xix) बंजर भूमि का विकास (xx) राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद (xxi) गरीबों को भूमि का आबंटन (xxii) भूमि सुधार (xxiii) राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति 2013
2	90	अता.प्र.सं. 2997 दिनांक 16.03.2016		परमाणु ऊर्जा विभाग	हरीपुर से एनपीपी को अन्य स्थान पर ले जाना
3	91	अता.प्र.सं. 4112 दिनांक 18.08.2010		परमाणु ऊर्जा विभाग	यूरेनियम एवं प्लूटोनियम की खोज
4	92	(i) अता.प्र.सं. 2410 दिनांक 28.03.2012 (ii) अता.प्र.सं. 6496 दिनांक 16.05.2012	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	(i) निजता का अधिकार संबंधी विधेयक (ii) निजता का अधिकार विधेयक

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
		(iii) अता.प्र.सं. 3201 दिनांक 12.12.2012 (iv) अता.प्र.सं. 4154 दिनांक 19.12.2012 (v) अता.प्र.सं. 1714 दिनांक 09.12.2015			(iii) निजता पर एक पृथक विधेयक (iv) व्यक्तियों की निजता संबंधी पैनल (v) निजता का अधिकार विधेयक से छूट
5	93	अता.प्र.सं. 2536 दिनांक 09.07.2019	भारी उद्योग		नई राष्ट्रीय ऑटो नीति
6	94	अता.प्र.सं. 7114 दिनांक 08.05.2015	रक्षा	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	बैटरी चालित रथ
7	95	अता.प्र.सं. 402 दिनांक 15.09.2020	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास विभाग	कोरोना महामारी के कारण आर्थिक क्षति
8	96	ता.प्र.सं. 130 दिनांक 27.11.2019 (श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेलवे		रेल परियोजनाएं

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
9	97	अता.प्र.सं. 3988 दिनांक 17.07.2019	रेलवे		ब्रॉड गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य
10	98	अता.प्र.सं. 2929 दिनांक 11.03.2020	रेलवे		समर्पित मालवहन गलियारा
11	99	अता.प्र.सं. 2823 दिनांक 11.03.2020	रेलवे		रेलगाड़ी में चेन खींचने की घटनाएं
12	100	अता.प्र.सं. 1277 दिनांक 25.11.2019	वित्त	व्यय विभाग	आई.एफ.ए. चार्टर का संशोधन
13	101	अता.प्र.सं. 1760 दिनांक 04.05.2016	रेलवे		रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन
14	102	अता.प्र.सं. 1663 दिनांक 26.07.2017	रेलवे		तेजस एक्सप्रेस
15	103	अता.प्र.सं. 3669 दिनांक 02.01.2019	रेलवे		तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन
16	104	(i) अता.प्र.सं. 5148 दिनांक 24.04.2015 (ii) ता.प्र.सं. 189 दिनांक 06.05.2016	वित्त	राजस्व विभाग	(i) आयातों का अतिमूल्यांकन और अल्पमूल्यांकन (ii) कोयला आयातो का

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
					अधिक मूल्यांकन
17	105	ता.प्र.सं. 82 दिनांक 08.02.2017 (श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेलवे		सुरक्षा प्रयौगिकी
18	106	अनुदान की मांगों के संबंध में सामान्य बजट (रेलवे) पर दिनांक 12.07.2019 की चर्चा	रेलवे		रेलवे में सुविधाएँ बढ़ाने के लिए रेल्वे ने फ्रांस और चीन के साथ विभिन्न एमओयू पर हस्ताक्षर किए और रूस के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किए
19	107	ता.प्र.सं. 447 दिनांक 24.07.2019 (श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेलवे		पर्यावरण-हितैषी प्रौद्योगिकी
20	108	अता.प्र.सं. 5631 दिनांक 10.05.2012	रेलवे		रेलवे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज

परिशिष्ट - दो

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 89

विषय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए आश्वासनों को छोड़ने का अनुरोध:-

i. 'भूमि सुधार' विषय से संबंधित दिनांक 17 जुलाई, 2009 के अतारांकित प्रश्न सं. 1903 (अनुबंध-I)

ii. 'भूमि सुधार में उपलब्धि' विषय से संबंधित दिनांक 23 नवंबर, 2009 के अतारांकित प्रश्न सं. 462 (अनुबंध-II)

iii. 'भूमि सुधार नीति' विषय से संबंधित दिनांक 23 नवंबर, 2009 के अतारांकित प्रश्न सं. 517 (अनुबंध-III)

iv. 'कृषि भूमि सुधार संबंधी समिति' विषय से संबंधित दिनांक 23 नवंबर, 2009 के अतारांकित प्रश्न सं. 563 (अनुबंध-IV)

v. 'एस ई जेड के लिए भूमि का अधिग्रहण' विषय से संबंधित दिनांक 16 अगस्त, 2010 के अतारांकित प्रश्न सं. 3448 (अनुबंध-V)

vi. 'भूमि का अंतरण' विषय से संबंधित दिनांक 16 अगस्त, 2010 के अतारांकित प्रश्न सं. 3620 (अनुबंध-VI)

vii. 'कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण' विषय से संबंधित दिनांक 22 नवंबर, 2010 के अतारांकित प्रश्न सं. 1950 (अनुबंध-VII)

viii. 'जनजातीय क्षेत्रों में संसाधन' विषय से संबंधित दिनांक 06 दिसंबर, 2010 के अतारांकित प्रश्न सं. 4200 (अनुबंध-VIII)

ix. 'भू हदबंदी' विषय से संबंधित दिनांक 06 दिसंबर, 2010 के अतारांकित प्रश्न सं. 4331 (अनुबंध-IX)

x. 'भूमि सुधार' विषय से संबंधित दिनांक 18 अगस्त, 2011 के अतारांकित प्रश्न सं. 2945 (अनुबंध-X)

xi. 'ठेका कृषि' विषय से संबंधित दिनांक 30 अगस्त, 2011 के अतारांकित प्रश्न सं. 4444 (अनुबंध-XI)

xii. 'भूमि बैंक' विषय से संबंधित दिनांक 15 दिसंबर, 2011 के अतारांकित प्रश्न सं. 3621 (अनुबंध-XII)

xiii. 'भूमि सुधार संबंधी समिति' विषय से संबंधित दिनांक 29 मार्च, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 2646 (अनुबंध-XIII)

xiv. 'भूमिहीन लोगों को भू-आबंटन' विषय से संबंधित दिनांक 17 मई, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 6739 (अनुबंध-XIV)

xv. 'भूमि सुधार हेतु राष्ट्रीय परिषद' विषय से संबंधित दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 302 (अनुबंध-XV)

xvi. 'भूमि सुधार अधिनियम' विषय से संबंधित दिनांक 06 सितंबर, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 4352 (अनुबंध-XVI)

xvii. 'भूमि सुधार नीति' विषय से संबंधित दिनांक 29 नवंबर, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 1014 (अनुबंध-XVII)

xviii. 'भूमि सुधार नीति' विषय से संबंधित दिनांक 12 दिसंबर, 2013 के अतारांकित प्रश्न सं. 1261 (अनुबंध-XVIII)

xix. 'बंजर भूमि का विकास' विषय से संबंधित दिनांक 13 फरवरी, 2014 के अतारांकित प्रश्न सं. 3688 (अनुबंध-XIX)

xx. 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' विषय से संबंधित दिनांक 20 फरवरी, 2014 के अतारांकित प्रश्न सं. 4231 (अनुबंध-XX)

xxi. 'गरीबों को भूमि का आवंटन' विषय से संबंधित दिनांक 12 मार्च, 2015 के अतारांकित प्रश्न सं. 2723 (अनुबंध-XXI)

xxii. 'भूमि सुधार' विषय से संबंधित दिनांक 15 मार्च, 2018 के तारांकित प्रश्न सं. 294 (अनुबंध-XXII)

xxiii. 'राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति 2013' विषय से संबंधित दिनांक 20 सितंबर, 2020 के अतारांकित प्रश्न सं. 1398 (अनुबंध-XXIII)

विभिन्न संसद सदस्यों ने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री से उपर्युक्त प्रश्न पूछे । प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर अनुबंधों (I से XXIII) में दिए गए हैं ।

2 समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 11 दिसंबर 2020 के का.ज्ञा. सं. एच-11015/07/2020-एलआरडी और दिनांक 06 जनवरी 2021 के का.ज्ञा. सं. 1101/02/2020-एलआरडी के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नवत् बताया:-

"(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 18 और प्रविष्टि 45 (राज्य सूची) के अनुसार भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है । भूमि सुधार

के क्षेत्र में केंद्र सरकार, विशेष रूप से भूमि संसाधन विभाग, की भूमिका केवल एक सलाहकार और समन्वय प्रकृति की है ।

(ii) सचिवों की समिति (सीओएस) ने राज्य कृषि संबंध और भूमि सुधार में अधूरा कार्य संबंधी समिति की सिफारिश की जांच की। सीओएस ने परिषद के समक्ष रखने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं । इसके बाद, राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए भूमि सुधार पर एक कार्य दल का गठन किया गया था । प्रमुख हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया के तहत भूमि संसाधन विभाग ने नीति आयोग, कैबिनेट सचिवालय और विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के साथ परामर्श कर कार्य दल द्वारा तैयार राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के मसौदे की जांच की थी । नीति आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है । विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की राय निम्नवत है:

"हमने नीति आयोग और भूमि संसाधन विभाग के विचारों की जांच की है। भूमि पर अधिकार का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आता है । इसलिए, प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव अर्थात 'संघ स्तर पर राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति तैयार नहीं करना (और जैसा-है-जहां-है के आधार पर मामले को लेना) पर कोई कानूनी आपत्ति नहीं है ।"

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति पर मसौदा रिपोर्ट की पहले ही सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा जांच की जा चुकी है और जहां तक आश्वासनों के शेष भाग का संबंध है, उपर्युक्त वर्णित स्थिति और विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और नीति आयोग की राय और तत्पश्चात संघ स्तर पर राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति तैयार नहीं करने के इस विभाग के मत के कारण इसके पूरा होने की संभावना नहीं है । इसलिए, राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की बैठक में विचार और निर्देश के लिए राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के मसौदे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली
दिनांक: 27-08-2021

अनुबंध-एक

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1903

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 जुलाई, 2009/ 26 आषाढ़, 1931 (शक) को दिया जाना है)

भूमि सुधार

1903. श्री मनसुखभाई डी0 वसावा :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों से भूमि सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) भूमि के अर्जन के संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश अपनी ओर से जारी नहीं किए गए हैं । तथापि, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 तैयार की गई है, जो 31.10.2007 से लागू हुई है। इस नीति के तहत दिए जाने वाले लाभ उन सभी प्रभावित व्यक्तियों तथा परिवारों को उपलब्ध होंगे, जिनकी भूमि, सम्पत्ति या जीविका भूमि अर्जन या प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसे किसी अन्य कारण से स्थायी स्वरूप के अनैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित हुई हो। नीति में यह व्यवस्था की गई है कि परियोजना के प्रयोजन के अनुरूप भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र को अर्जित किया जाए। जहां तक संभव हो, परियोजनाओं को बंजरभूमि, अवक्रमित भूमि या अर्सिंचित भूमि पर स्थापित किया जाए। इसके अलावा, परियोजना में गैर-कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि के अर्जन को न्यूनतम रखा जाए ; जहां तक संभव हो ऐसे प्रयोजनों के लिए बहु-फसल वाली भूमि को अर्जित करने से बचा जाए और यदि सिंचित भूमि को अर्जित किया जाना अपरिहार्य हो तो ऐसी भूमि का अर्जन कम से कम किया जाए।

(ख) राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एन.आर.आर.पी.- 2007) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- नीति में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामले शामिल किए गए हैं;
- उन परियोजनाओं के मामले में, जिनसे मैदानी/जनजातीय, पहाड़ी, अनुसूचित क्षेत्रों आदि में 400/200 या इससे अधिक परिवारों का विस्थापन होता है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस0आई0ए0) शुरू किया गया है;
- 200 और इससे अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन के मामले में जनजातीय विकास योजना तैयार करना;
- ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करने अथवा जन-सुनवाइयों को अनिवार्य बनाया गया है;

.....2/-

- विस्थापन से पूर्व पुनर्वास का सिद्धान्त;
- यदि संभव हो, तो मुआवजे के रूप में भूमि के बदले भूमि;
- दक्षता विकास सहायता तथा परियोजना कार्यों में रोजगार में प्राथमिकता (प्रति एकल परिवार एक व्यक्ति);
- भूमि/रोजगार के बदले में पुनर्वास अनुदान;
- प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहीं कम्पनियों में शेयरों का विकल्प;
- भूमिहीनों सहित सभी प्रभावित परिवारों को आवास का लाभ;
- अभावग्रस्त व्यक्तियों जैसे विकलांगों, निःसहाय, अनाथों, विधवाओं, अविवाहित लड़कियों आदि के लिए मासिक पेंशन;
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संयोजित मौद्रिक लाभ; तथा आवधिक अंतरालों पर इन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करना;
- पुनर्स्थापन क्षेत्रों में अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा सुख-साधन उपलब्ध कराना;
- परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों का विकास;
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक की अध्यक्षता में प्रत्येक परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति;
- शिकायत निवारण हेतु ऑमबड्समैन;
- बाहरी पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग ।

(ग) और (घ): संविधान की सातवीं अनूसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि सं0 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन राज्य सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी और समन्वयकारी स्वरूप की ही है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों / सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों से कार्रवाई योजनाएं तैयार करके निर्धारित सीमा से अधिक भूमि, सरकारी बंजरभूमि और भू-दान भूमि का वितरण पात्र ग्रामीण गरीबों को करने तथा विशेष अभियान शुरू करके इस कार्य को पूरा करने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। उनसे असुरक्षित अथवा अनौपचारिक काश्तकारों का पता लगाने हेतु कारगर कदम उठाने, ताकि उन्हें अभिलेखबद्ध किया जा सके ; जनजातीय भूमि के अंतरण को रोकने और अंतरित की गई भूमि उन्हें वापस दिलाने संबंधी विधायी उपबंधों को लागू करने ; भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण, और भूमिजोतों की चकबंदी का कार्य शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है।

भूमि सुधारों से संबंधित मामलों पर उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है। इस मामले पर व्यापक सिफारिशें प्राप्त करने और इस संबंध में एक विस्तृत नीति तैयार करने हेतु इस विभाग द्वारा निम्नलिखित उच्च स्तरीय निकायों का गठन किया गया है :-

(i) ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में ' राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति' ।
(ii) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ' राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' ।

समिति तथा परिषद् के संघटन, विचारार्थ-विषयों आदि को 9 जनवरी, 2008 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। भूमि सुधार सबंधी समग्र विषय की समिति द्वारा जाँच की जा रही है। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाते ही इसकी सिफारिशों को 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद ' के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुल-दो

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 462

जिसका उत्तर 23 नवम्बर, 2009 को दिया गया

भूमि सुधार में उपलब्धि

462 श्री अनन्तर वेंकटरामी रेड्डी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में भूमि सुधार के संबंध में राज्यवार कितनी उपलब्धि हासिल हुई;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के भूमिहीन लोगों को भूमि-वितरण की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वितरित की गई भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे भूमि सुधार के कार्यों की प्रक्रिया की निगरानी अथवा पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी):

(क) से (ड.): संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से संबंधित राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी और समन्वयकारी स्वरूप की ही है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों और राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। निर्धारित भूमि से अधिक भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार वितरित की गई निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का ब्यौरा अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

तथापि, इस विषय पर उच्चअतम स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय के संबंध में व्यापक सिफारिशें प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो उच्चस स्तपरीय निकाय गठित किए गए हैं :-

(i) ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति"।

(ii) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्"।

समिति तथा परिषद् के संघटन, विचारार्थ-विषयों आदि को 9 जनवरी, 2008 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति की रिपोर्ट को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्' के समक्ष विचारार्थ एवं निदेशार्थ रखा जाना है। परिषद् समिति की सिफारिशों के आधार पर भूमि सुधारों के संबंध में विस्तृकत मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित कर सकती है एवं नीतिगत सिफारिशें कर सकती है।

****

विवरण

क्रम सं.	राज्य	निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का वितरण (क्षेत्र एकड़ में)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2386	3817	2066
2.	असम	0	0	0
3.	बिहार	0	0	46395
4.	छत्तीसगढ़	0	60680	0
5.	गुजरात	10033	5880	-49*
6.	हरियाणा	0	3	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
8.	जम्मू औ			
9.	झारखंड	0	876	0
10.	कर्नाटक	98	1300	1135
11.	केरल	7919	12	0
12.	मध्य प्रदेश	295	0	24
13.	महाराष्ट्र	618	552	18965
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	उड़ीसा	1131	223	162
16.	पंजाब	-3752*	2904	0
17.	राजस्थान	0	1222	0
18.	तमिलनाडु	1546	1011	659
19.	त्रिपुरा	0	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	0	2349	0
21.	पश्चिम बंगाल	2342	12293	10970
22.	दादरा औ नगर हवेली	0	0	0
23.	दिल्ली	0	0	0
24.	पुडुचेरी	0	0	0
	योग	22616	93122	80327

नोट: वर्ष 2008-09 के आंकड़े सुनिश्चित नहीं किए गए है

*राज्य सरकारें संबंधी आंकड़ों की सूचना दे रही है

कमी के बारे में राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है

अनुबन्ध- तीन

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 517

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 नवम्बर, 2009/2 अग्रहायण, 1931 (शक) को दिया जाना है)

भूमि सुधार नीति

517. श्री बसोरी सिंह मसराम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि सुधारों के दृष्टिगत राज्य-कृषि संबंधों से संबंधित तथा भूमि सुधारों के अधूरे कार्यों की देखरेख के लिए जनवरी, 2008 में एक समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 2008 से अब तक समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और भूमि सुधारों के संबंध में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) भूमि सुधार नीति की घोषणा नहीं किए जाने तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने भूमि सुधार नीति की घोषणा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) जी, हां। भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की देखरेख के लिए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 9 जनवरी, 2009 को ' राज्य कृषि संबंधों एवं भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति ' गठित की गई थी।

(ख) से(ड.): समिति की चार बैठकें हुई थीं और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने भूमि सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित ' राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् ' के समक्ष इसके विचारार्थ एवं निदेशार्थ रखी जानी है। तदनुसार, इसे परिषद् के समक्ष रखे जाने संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 563

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 नवम्बर, 2009/2 अग्रहायण, 1931 (शक) को दिया जाना है)

कृषि भूमि सुधार संबंधी समिति

563. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री मधु गौड़ यास्खी :
क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित कृषि भूमि सुधार संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) जी, हां । ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित ' राज्य कृषि संबंधों एवं भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति ' ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) एवं (ग): समिति ने भूमि सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें की है। समिति की रिपोर्ट प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित ' राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् ' के समक्ष इसके विचारार्थ एवं निदेशार्थ रखी जानी है। तदनुसार, इसे परिषद् के समक्ष रखे जाने संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

अनुलग्नक - पाँच

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3448

(जिसका उत्तर सोमवार , 16 अगस्त, 2010/ 25 श्रावण ,1932 (शक) को दिया जाना है)

एस ई जेड के लिए भूमि का अधिग्रहण

3448. श्री गणेश सिंह :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में कानून की व्यापक समीक्षा करने तथा विशेष आर्थिक जोनों के लिए खेती योग्य भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) से (ख): जी, हाँ । 9 जनवरी, 2008 को ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति ' ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.), अधिनियम की पुनः विस्तृत जाँच करने और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के परिवर्तन संबंधी छूट और एसईजेड/एसटीजेड प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कृषि भूमि के अंतरित करने पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली " राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् " के समक्ष इसके विचारार्थ और निदेशार्थ प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सचिवों की एक समुचित समिति द्वारा इनकी जांच की जाए। तदनुसार, समिति की रिपोर्ट को " राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा उसकी जाँच की जा रही है।

अनुलग्नक छह

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3620

(जिसका उत्तर सोमवार , 16 अगस्त, 2010/ 25 श्रावण ,1932 (शक) को दिया जाना है)

भूमि का अंतरण

3620. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनजातीय भूमि के अप्राधिकृत अंतरण को तुरंत उनके अधिकार सम्पन्न स्वामी को वापस करने के लिए लोगों तथा प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों से कोई सुझाव तथा अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) से (घ): विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों, अनुरोधों के आधार पर और जनजातीय भूमि के अंतरण संबंधी मामलों सहित भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जांच करने के उद्देश्य से 09.01.2008 को ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में ' राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति ' का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ वन-आश्रित जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों सहित जनजातीय भूमि के अंतरण संबंधी मामलों की जांच करना और ऐसी भूमि को उन्हें वापस दिलाने के लिए संगत कानूनों में अपेक्षित परिवर्तनों सहित यथार्थवादी उपायों का सुझाव देना शामिल है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत की है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि समिति की सिफारिशों को परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सचिवों की एक समुचित समिति द्वारा इनकी जांच की जाए। तदनुसार, सचिवों की समिति द्वारा सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और सचिवों की समिति की अभी तक तीन बैठकें हुई हैं।

अनुबंध सात

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1950

(जिसका उत्तर सोमवार , 22 नवम्बर, 2010/ 1 अग्रहायण,1932 (शक) को दिया जाना है)

कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण

1950. श्री हंसराज गं0 अहीर :
श्री ए0टी0 नाना पाटील :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि एवं भूमि पुनर्वास कार्य हेतु सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने अत्यधिक भूमि अधिग्रहण किये जाने के कारण खाद्यान्नों की कमी होने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो दशकों के दौरान खनन परियोजनाओं हेतु साढ़े सात लाख एकड़ भूमि तथा उद्योग हेतु ढाई लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार उक्त समिति की चेतावनी पर कोई उपचारात्मक कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये/ उठाये जाने का विचार है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य की जाँच को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 9 जनवरी, 2008 को 'राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति ' का गठन किया गया था । समिति ने कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग सहित भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की हैं ।

समिति की सिफारिशों की सचिवों की समिति द्वारा जाँच की जा रही है और इन्हें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित ' राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद ' के समक्ष विचारार्थ एवं निदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

.....2/-

इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग की राष्ट्रीय किसान नीति-2007 में यह परिकल्पना की गई है कि अपवादात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर मुख्य कृषि भूमि को कृषि कार्य के लिए संरक्षित रखा जाए, बशर्ते कि जिन एजेंसियों को गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि उपलब्ध करायी जाती है, उन्हें किसी अन्य स्थान पर कृषि भूमि के बराबर अवक्रमित वाटरशेड को उपजाऊ बनाकर तथा उसे पूर्णत: विकसित करके कृषि भूमि की क्षति को पूरा करना चाहिए। उद्योग और निर्माण कार्यकलापों सहित गैर-कृषि विकासात्मक कार्यकलापों के लिए निम्न जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे अकृष्य भूमि, लवणता, क्षारीयता आदि से प्रभावित भूमि को निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

(ख) और (ग): चूंकि राज्य सरकारें खनिजों के स्वामी के रूप में खनिज रियायतें प्रदान करती हैं और खदान कार्यों के लिए भूमि अर्जित करती हैं। इसी प्रकार, उद्योगों के लिए भूमि राज्य स्तर पर अर्जित की जाती है। अत: विगत दो दशकों से खनन कार्यकलापों/ उद्योगों से प्रभावित लोगों के संबंध में सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) से (च): संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य-सूची) की प्रविष्टि सं0 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से संबंधित राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी एवं समन्वयकारी स्वरूप की है। इस संबंध में आगे कार्रवाई राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4200

(जिसका उत्तर सोमवार , 6 दिसम्बर, 2010/ 15 अग्रहायण,1932 (शक) को दिया जाना है)

जनजातीय क्षेत्रों में संसाधन

4200. **श्री गणेश सिंह :**
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के समृद्ध जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन विगत कुछ समय से समाप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) से (ग) : भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य की जांच को ध्यान में रखते हुए दिनांक 9.1.2008 के संकल्प के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य कृषि संबंधों एवं भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति' का गठन किया गया था। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ वन-आश्रित जनजातियों के परंपरागत अधिकारों, भूमि उपयोग पहलुओं आदि सहित जनजातीय भूमि के अंतरण से संबंधित मामलों की जांच शामिल है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट को विचारार्थ एवं निदेशार्थ प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व समिति की सिफारिशों की सचिवों की उपयुक्त समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा जांच की जाए। तदनुसार, सचिवों की समिति द्वारा सिफारिशों की जांच की जा रही है।

******

अनुल-दो-नौ

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4331

जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2010 को दिया गया

भू-हदबंदी

4331 श्री एस. सेम्मलई:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कृषि आर्द्र भूमि एवं शुष्क भूमि संबंधी वर्तमान हदबंदी सीमा को कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस दृष्टिकोण पर विस्तृसत सूचना है कि विभिन्न राज्यों में लागू एवं क्रियान्वित किए गए भू-हदबंदी अधिनियमों से कृषि उत्पादकता में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी):

(क) से (ख) : भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य की जांच को ध्यान में रखते हुए दिनांक 9.1.2008 के संकल्प के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य कृषि संबंधों एवं भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति' का गठन किया गया था। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि की निर्धारित सीमा संबंधी कार्यक्रम आदि से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा भी शामिल थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट को विचारार्थ एवं निदेशार्थ प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्' के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व समिति की सिफारिशों की सचिवों की उपयुक्त समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा जांच की जाए । तदनुसार, सचिवों की समिति द्वारा सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) से (घ): सरकार के पास विभिन्न राज्यों में लागू और कार्यान्वित किए गए भूमि की निर्धारित सीमा संबंधी अधिनियमों, जिनसे कृषि उत्पादकता मे कमी आई हो, के बारे में कोई सूचना नहीं है।

****

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2945

जिसका उत्तर 18 अगस्त, 2011 को दिया गया

भूमि सुधार

2945 डॉ. संजय सिंह,
श्री मनसुखभाई,
डी. वसावा,
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार शुरू करने के लिए "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की संरचना और विचारार्थ विषय क्यां हैं;

(ग) इसकी शुरूआत से परिषद की उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि सुधार का लाभ देश के सबसे गरीब को मिले, कौन-कौन से कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्तादव है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर कुमार अधिकारी) जी

(क) जी, हाँ ।

(ख) राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् का गठन "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" की सिफारिशों के आधार पर कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों के संबंध में नीतिगत सिफारिशों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु 9.1.2008 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा किया गया था। राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध में दी गई है। इस परिषद् का गठन माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सचिव (भूमि संसाधन) को सदस्य सचिव के रूप में शामिल करके किया गया है।

(ग) और (घ): परिषद् की पहली बैठक अभी आयोजित की जानी है।

****

Annexure

Annexure referred to in reply to part (b) of Lok Sabha Unstarred Question No. 2945 due for answer on 18.08.2011

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2008/पौष 19, 1929
No. 15] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2008/PAUSA 19, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

विषय : "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" का गठन ।

सं. 21013/4/2007-एल.आर.डी.—भूमि प्रशासन में बेहतर नियंत्रण तथा कृषि संबंधों का कारगर प्रबंधन, गरीबी में कमी लाने तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं । आर्थिक संवृद्धि और सतत् विकास की वांछित गति और स्तर को प्राप्त करने हेतु भूमि तथा भूमि से संबंधित सेवाओं की सामाजिक तौर पर न्यायोचित प्राप्ति और भूमि अधिकारों का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

2. भूमि सुधार से अपवर्जन के मौजूदा स्वरूप को बदला जा सकता है ताकि गरीब व्यक्ति भूमि, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार तथा अन्य उत्पादनकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और वे उनकी जीविका को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सक्रिय भागीदार बन सकें ।

3. भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जाँच करने की दृष्टि से "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति" गठित करने का निर्णय लिया गया है । समिति का संघटन निम्नानुसार होगा :—

1. ग्रामीण विकास मंत्री —अध्यक्ष
2. सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, —सदस्य
3. प्रो. ए. के. सिंह, निदेशक, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश —सदस्य
4. श्री बी. के. सिन्हा, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली । —सदस्य
5. श्री के. बी. सक्सेना, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, फ्लैट सं. 158, रास विहार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट सं. 99, पटपड़गंज, दिल्ली । —सदस्य
6. प्रो. पी. के. झा, स्कूल ऑफ इकोनोमिक साईसेज एण्ड प्लानिंग, जे.एन.यू., नई दिल्ली । —सदस्य
7. श्री आर.सी. वर्मा, 321, गुरु जाम्बेश्वर नगर, जयपुर, राजस्थान —सदस्य
8. श्री सुभाष लोमटे, नेशनल कैम्पेन कमिटी फॉर रूरल वर्कर्स, 125, समर्थ नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र —सदस्य
9. डॉ. टी. हक, अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि भवन, नई दिल्ली । —सदस्य
10. श्री आचार्य राम मूर्ति, बी-173, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, पटना-02, बिहार । —सदस्य
11. श्री जगदानन्द, सदस्य सचिव, सेंटर फॉर पूथ एण्ड सोशल डिवलपमेंट (सी.वाई.एस.डी.) —सदस्य

ई-1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गंगाधर मेहर मार्ग,
पुवनेश्वर-751013,
उड़ीसा ।

12. सुश्री नीलिमा खेतान —सदस्य
सेवा मंदिर, पुराना फतेहपुर
उदयपुर-313004,
राजस्थान

13. श्री रामदयाल मुंडा, —सदस्य
ग्राम-हात्मा (रांची कॉलेज के पीछे)
मोरहाबादी, रांची-834008
झारखंड ।

14. सुश्री शशीकला —सदस्य
अध्यक्ष, दलित बहुजन श्रमिक संघ,
मकान सं. 01/4879/87/01,
बकराम नगर, गांधी नगर, हैदराबाद ।

15. श्री बी.के. पिपेरसेनीया —सदस्य
प्रधान सचिव, राजस्व विभाग,
असम सरकार,
दिसपुर-781006

16. श्रीमती विलासनी रामचन्द्रन —सदस्य
प्रधान सचिव, राजस्व विभाग,
गुजरात सरकार, सचिवालय,
गांधी नगर-382010

17. श्री एस.एम. जामदार —सदस्य
प्रधान सचिव, राजस्व विभाग,
कर्नाटक सरकार, एम.एस. बिल्डिंग,
बंगलौर-560001

18. श्रीमती गीता चौधरी, —सदस्य
प्रधान सचिव, राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन,
लखनऊ

19. डॉ. पी. के. अग्रवाल, —सदस्य
प्रधान सचिव, भूमि तथा भूमि सुधार विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार, राइटर्स बिल्डिंग,
कोलकाता-700001

20. अपर सचिव, —सदस्य सचिव
भूमि संसाधन विभाग,
ग्रामीण विकास मंत्रालय ।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

(i) देश में फालतू घोषित की गई भूमि के वितरण की स्थिति, आवंटित भूमि पर ग्रामीण गरीबों द्वारा कब्जा बनाए रखने और फालतू घोषित की गई परन्तु मुकद्दमेबाजी में रुकी हुई भूमि के शीघ्रता से निपटान सहित भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम की गहराई से समीक्षा करना तथा इस संबंध में समुचित और कारगर कार्यनीतियों का सुझाव देना ।

(ii) सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों की गरीबों को प्राप्ति सुनिश्चित करना, सरकारी/बंजरभूमि की पहचान, प्रबंधन, विकास तथा भूमिहीनों को इसके वितरण के संबंध में उपाय सुझाना ।

(iii) राज्यों में भू-दान भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करना तथा शेष पड़ी भू-दान भूमि भूमिहीन लोगों को वितरित करने के लिए उपाय सुझाना ।

(iv) भू-भृति और उप भू-भृतियों के मामले की जांच करना तथा सभी कृषि काश्तकारों को अभिलेखबद्ध करने और किसानों को उचित लगान, काश्तकारी अवधि और पुनर्ग्रहण के अधिकार की सुरक्षा हेतु उचित आश्वासनों के साथ भूमि पट्टे पर लेने और पट्टे पर देने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक संरचना तैयार करने के लिए उपाय सुझाना ।

(v) वन आश्रित जनजातीय लोगों के पारम्परिक अधिकारों सहित जनजातीय भूमि के अंतरण से संबंधित मामलों की जांच करना तथा ऐसी अंतरित भूमि को उन्हें वापस दिलाने से संबंधित संगत कानूनों में अपेक्षित परिवर्तनों सहित यथार्थवादी उपाय सुझाना ।

(vi) भूमि से संबंधित मुकद्दमेबाजी के मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए फॉस्ट-ट्रैक न्यायालयों/तंत्र की स्थापना करने के मामले की जांच करना ।

(vii) भूमि उपयोग पहलुओं, विशेषरूप से कृषि भूमि से संबंधित की जांच करना और कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग को रोकने अथवा कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अंतरण को देश की विकास आवश्यकताओं के समनुरूप न्यूनतम करने हेतु उपायों की सिफारिश करना ।

(viii) वासभूमि अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना तथा वासभूमि विहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपाय सुझाना ।

(ix) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने, भूमि अधिकारों को उचित रूप से अभिलेखबद्ध करने और भूमि से संबंधित विरोधों और विवादों का शीघ्रता से निपटान करने पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु उपाय सुझाना ।

(x) भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रों का सुझाव देना ।

(xi) भूमि तथा अन्य उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों की महिलाओं को अधिक प्राप्ति का लाभ देने हेतु उपायों की जांच करना ।

(xii) कोई अन्य सुसंगत मामला ।

(xiii) कोई अन्य विचारार्थ विषय, जिसके बारे में समिति की प्रथम बैठक में निर्णय लिया जाए ।

5. समिति राज्य का दौरा कर सकती है और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दृष्टि से उनके साथ परामर्श कर सकती है ।

6. समिति राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ परामर्श करके उपर्युक्त मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि सुधारों

के कारगर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें करेगी ।

7. समिति विचारार्थ विषयों के उपर्युक्त संघटकों को गहराई से अध्ययन करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो उप-समूहों/कार्यबलों का गठन कर सकती है ।

8. समिति अन्य एजेंसियों के किसी अन्य अधिकारिक/गैर-अधिकारिक/विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकती है ।

9. समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट इसके गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगी और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् के समक्ष इसके विचारार्थ तथा दिशानिर्देशों के लिए प्रस्तुत करेगी ।

10. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के सरकारी सदस्यों के संबंध में होने वाले व्यय का वहन संबंधित मूल विभाग/मंत्रालय/संगठनों द्वारा, उनके लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा । गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन समुचित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा ।

11. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली में अवस्थित होगी और इसके द्वारा सेवित होगी ।

भास्कर चटर्जी, अपर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th January, 2008

Subject: Constitution of the "Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms".

No. 21013/4/2007-LRD.—Good governance in land administration and effective management of agrarian relations are important catalysts for poverty reduction and economic development. Socially just access to land, land-related services and security of land rights are of utmost importance in achieving the desired pace and level of economic growth and sustainable development.

2. Land reforms can change the current culture of exclusion so that the poor can gain access to land, credit, technology, markets and other productive services; and become active partners in the development of government policies and programmes affecting their livelihood.

3. With a view to looking into the unfinished task in land reforms, it has been decided to set up a "Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms". The composition of the Committee will be as under:

1. Minister for Rural Development —Chairman
2. Secretary, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development —Member
3. Prof. A.K. Singh, Director, Giri Institute of Development Studies, Lucknow, Uttar Pradesh. —Member
4. Shri B.K. Sinha, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Sardar Patel Bhawan, New Delhi. —Member
5. Shri K.B. Saxena, Former Secretary, GoI, Flat No. 158, Ras Vihar Group Housing Society, Plot No. 99, Patparganj, Delhi. —Member
6. Prof. P.K. Jha, School of Economic Sciences and Planning, JNU, New Delhi —Member
7. Shri R.C. Verma 321, Guru Jambeshwar Nagar, Jaipur, Rajasthan —Member
8. Shri Subhash Lomte National Campaign Committee for Rural Workers, 125, Samrath Nagar, Aurangabad, Maharashtra —Member
9. Dr. T. Haque, Chairman, Commission on Agrl. Costs and Prices, Krishi Bhawan, New Delhi. —Member
10. Shri Acharya Ram Murthy B-173, Police Colony, Anisabad, Patna -02, Bihar. —Member
11. Shri Jagadananda, Member Secretary, Centre for Youth and Social Development (CYSD), E-1, Institutional Area, Gangadhar Meher Marg, Bhubaneswar-751013, Orissa. —Member
12. Ms. Neelima Khetan Seva Mandir, Old Fatehpura, Udaipur-313004 Rajasthan —Member
13. Shri Ram Dayal Munda, Village Hatma (Behind Ranchi College), Morhabadi, Ranchi-834008 Jharkhand. —Member
14. Ms. Sashikala, President, Dalit Bahujan Sramik Union, House No.01/4879/87/01, Bakaram Nagar, Gandhi Nagar, Hyderabad. —Member
15. Shri V.K. Pipersenia Pr. Secretary, Revenue Department, Govt. of Assam, Dispur-781006. —Member

16. Mrs. Vilasani Ramchandran —Member
Pr. Secretary, Revenue Department,
Govt. of Gujarat, Sachivalaya,
Gandhinagar-382010,

17. Shri S.M. Jaamdar —Member
Pr. Secretary, Revenue Department,
Govt. of Karnataka, MS Building,
Bangalore-560001.

18. Smt. Neeta Choudhary, —Member
Pr. Secretary, Revenue Department
Govt. of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan,
Lucknow.

19. Dr. P.K. Agrawal —Member
Pr. Secretary, Land and Land
Reforms Department,
Govt. of West Bengal,
Writers Building,
Kolkata-700001.

20. Additional Secretary, —Member Secretary
Department of Land Resources,
Ministry of Rural Development

4. The terms of reference of the Committee shall be as follows :

(i) To conduct in-depth review of the land ceiling programme in the country including status of distribution of land declared surplus, continued possession by the rural poor of the allotted land and expeditious disposal of land declared surplus but held up due to litigation and to suggest appropriate and effective strategies in this regard.

(ii) To ensure access of the poor to common property resources, suggest ways for identification, management, development and distribution of Government/wasteland to the landless.

(iii) To review the progress of distribution of Bhoodan land in the States and suggest measures for distribution of the remaining Bhoodan land to the landless.

(iv) To examine the issue of tenancy and sub-tenancies and suggest measures for recording of all agricultural tenants and a framework to enable cultivators of land to lease in and lease out with suitable assurances for fair rent, security of tenure and right to resumption.

(v) To examine the issues relating to alienation of tribal lands including traditional rights of the forest-dependant tribals and to suggest realistic measures including changes required in the relevant laws for restoration of such lands to them.

(vi) To examine the issue of setting up of fast track courts/mechanism for speedy disposal of land-related litigation cases.

(vii) To look into the land use aspects, particularly the agricultural land, and recommend measures to prevent/minimize conversion of agricultural land for non-agricultural purposes, consistent with development needs of the country.

(viii) To examine the issues related to homestead rights and recommend measures for providing land for housing to the families without homestead land.

(ix) To suggest measures for modernization of land management with special reference to updating of land records, proper recording of land rights and speedy resolution of conflicts and disputes relating to land.

(x) Suggest institutional mechanisms for effective implementation of land reform programmes.

(xi) To examine measures to provide women greater access to land and other productive assets.

(xii) Any other issue of relevance.

(xiii) Any other Term of Reference that may be decided by the Committee in its first meeting.

5. The Committee may visit the States and hold consultations with them in order to finalize its recommendations.

6. The Committee would make recommendations on the programme of action for effective implementation of land reforms with particular reference to the above matters in consultation with State Governments/Union Territory Administrations.

7. The Committee may set up sub-groups/task forces, if necessary, for undertaking in-depth studies on the above components of the Terms of Reference.

8. The Committee may co-opt any other official/non-official/experts/representatives of other agencies.

9. The Committee will submit its final report within one year from the date of its constitution and the report will be placed before the National Council for Land Reforms for its consideration and directions.

10. The expenditure of the official members of the Committee for attending the meetings of the Committee will be borne by the respective parent Department/Ministry/Organisations as per the rules applicable to them. The expenditure on TA/DA of non-official Members will be borne by the Department of Land Resources according to the appropriate rules and practices.

11. The Committee will be located in and serviced by the Department of Land Resources in the Ministry of Rural Development at New Delhi.

BHASKAR CHATTERJEE, Addl. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

विषय : "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" का गठन ।

सं. 21013/4/2007-एल.आर.डी.—भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जांच करने की दृष्टि से दिनांक 9 जनवरी, 2008 के सम संख्यक संकल्प के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति" का गठन किया गया है ।

2. "राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" की सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने और नीती संबंधी सिफारिशें करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्" गठित करने का निर्णय लिया गया है ।

परिषद् का संघटन निम्नानुसार होगा :

प्रधान मंत्री	—अध्यक्ष
(क) भारत सरकार के मंत्री	
(i) ग्रामीण विकास मंत्री	—सदस्य
(ii) कृषि मंत्री	—सदस्य
(iii) पर्यावरण एंव वन मंत्री	—सदस्य
(iv) पंचायती राज मंत्री	—सदस्य
(v) जनजातीय कार्य मंत्री	—सदस्य
(vi) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	—सदस्य
(vii) उपाध्यक्ष, योजना आयोग	—सदस्य
(ख) राज्यों के मुख्य-मंत्री	
(i) मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	—सदस्य
(ii) मुख्य मंत्री, बिहार	—सदस्य
(iii) मुख्य मंत्री, कर्नाटक	—सदस्य
(iv) मुख्य मंत्री, केरल	—सदस्य
(v) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	—सदस्य
(vi) मुख्य मंत्री, उड़ीसा	—सदस्य
(vii) मुख्य मंत्री, राजस्थान	—सदस्य
(viii) मुख्य मंत्री, त्रिपुरा	—सदस्य
(ix) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	—सदस्य
(x) मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	—सदस्य
(ग) अन्य सदस्य	
(i) डा. बीणा अग्रवाल, इंस्टीट्यूट आफॅ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	—सदस्य
(ii) डा. सी. एच. हनुमंत राव, 240-बी, सड़क सं. 18, जुबिली हिल्स, हैदराबाद -500033	—सदस्य
(iii) डा. जी. के. चड्ढा, सदस्य प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्, कमरा सं. 249 विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली	—सदस्य
(iv) श्री पी. वी. राजगोपाल एकता परिषद्, गाँधी पीस फाउन्डेशन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	—सदस्य
(v) श्री एस. आर. शंकरण, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, फ्लैट सं. 114, सफिरे बिल्डिंग, अमृता हिल्स, पुंजागुट्टा, हैदराबाद -500082	—सदस्य
(vi) डा. एस. एस. जोहल, 2920, गुरूदेव नगर, लुधियाना, पंजाब	—सदस्य
(vii) प्रो. वी. एस. व्यास, अध्यक्ष इंस्टीट्यूट फॉर डिवलपमेंट स्टडीज (आई.डी.एस.), 8वी झालना इंस्टीट्यूसनल एरिया, जयपुर-302004	—सदस्य
(viii) श्री वाल्टर फर्नांडीस, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, 10 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली	—सदस्य
सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	—सदस्य सचिव

3. अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को, जैसा कि अपेक्षित हो, परिषद् के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते हैं ।

4. परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए इसके सरकारी सदस्यों के संबंध में होने वाले व्यय का वहन उनके मूल विभाग/मंत्रालय/संगठनों द्वारा, उनके लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा । गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन उपयुक्त नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा ।

भास्कर चटर्जी, अपर सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 9th January, 2008

Subject : Constitution of the "National Council for Land Reforms".

No. 21013/4/2007-LRD.—With a view to looking into the unfinished task in land reforms, a "Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms" has been constituted under the Chairmanship of Minister for Rural Development vide Resolution of even number dated 9th January, 2008.

2. To lay down broad guidelines and policy recommendations on agrarian relations and land reforms, based on the recommendations of the "Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms" or otherwise, it has been decided to constitute a "National Council for Land Reforms" under the Chairmanship of the Prime Minister. The composition of the Council will be as under :

Prime Minister — Chairman

(A) Govt. of India Ministers

(i) Minister for Rural Development —Member
(ii) Minister for Agriculture —Member
(iii) Minister for Environment & forests —Member
(iv) Minister for Panchayati Raj —Member
(v) Minister for Tribal Affairs —Member
(vi) Minister for Social Justice & Empowerment —Member
(vii) Dy. Chairman, Planning Commission —Member

(B) Chief Ministers of States

(i) Chief Minister, Andhra Pradesh —Member
(ii) Chief Minister, Bihar —Member
(iii) Chief Minister, Karnataka —Member
(iv) Chief Minister, Kerala —Member
(v) Chief Minister, Maharashtra —Member
(vi) Chief Minister, Orissa —Member
(vii) Chief Minister, Rajasthan —Member
(viii) Chief Minister, Tripura —Member
(ix) Chief Minister, Uttar Pradesh —Member
(x) Chief Minister, West Bengal —Member

(C) Other Members

(i) Dr. Bina Agarwal, Institute of Economic Growth, Delhi University, Delhi. —Member
(ii) Dr. C. H. Hanumantha Rao, 240-B, Road No. 18, Jubilee Hills, Hyderabad–500033. —Member
(iii) Dr. G. K. Chadha, Member, Economic Advisory Council to the Prime Minister, Room No. 249, Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi. —Member
(iv) Shri P. V. Rajgopal, Ekta Parishad, Gandhi Peace Foundation, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi —Member
(v) Shri S. R. Sankaran former Secretary, G O I, Flat No. 114, Sapphire Building, Amrita Hills, Punjagutta, Hyderabad—500082. —Member
(vi) Dr. S. S. Johal, 2920, Gurdev Nagar, Ludhiana, Punjab —Member
(vii) Prof. V. S. Vyas, Chairperson, Institute for Development Studies (IDS), 8B Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004. —Member
(viii) Shri Walter Fernades, Indian Social Institute, 10 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi. —Member

Secretary, Department of Land Resources Ministry of Rural Development —Member Secretary

3. The Chairman may co-opt any other person as Member of the Council as may be necessary.

4. The expenditure of the official members of the Council for attending its meetings will be borne by the respective parent Department/Ministry/Organisations as per the rules applicable to them. The expenditure on TA/DA of non-official members will be borne by the Department of Land Resources according to the appropriate rules and practices.

BHASKAR CHATTERJEE, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4444

30 अगस्त, 2011 को उत्तरार्थ

विषय: ठेका कृषि

4444 श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि में संगठित अनुबंध कृषि शुरु करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शेयरक्रापिंग(बटाई) प्रणाली को विनयमित करने एवं उसमें सुधार करने हेतु कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) अनुपस्थित भूस्वामित्व को हल करने, हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत)

(क)से(ड.): कृषि मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए माडल कृषि उत्पाद विपणन(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2003 एवं माडल कृषि उत्पाद विपणन(विकास एवं विनियमन) नियम, 2007 तैयार किए हैं । माडल अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ ठेका कृषि प्रायोजकों के पंजीकरण, कृषि उत्पाद विपणन समिति(एपीएमसी) अथवा अधिनियम के तहत निर्धारित किसी प्राधिकरण के पास ठेका कृषि समझौतों की रिकार्डिंग एवं विवाद निपटान तंत्र का प्रावधान शामिल है । इसमें ऐसे ठेकों के तहत आने वाली भूमि पर किसानों के स्वामित्व अथवा अधिकार की सुरक्षा का भी प्रावधान है । इनका आशय किसानों के हितों की रक्षा करना है । आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ ने अपने-अपने राज्य कानून के तहत ठेका कृषि प्रणाली के लिए विधिक प्रावधान किए हैं ।

भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'राज्य कृषि संबंधों एंव भू-सुधारों में अधूरे कार्य' पर 2008 में एक समिति गठित की । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है एवं इसने अनुपस्थित भूमि मालिकों अथवा अनिवासी भूमि मालिक एवं काश्तकारी तथा पट्टेदारी के संबंध में संस्तुतियों समेत भू-सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर संस्तुति की है ।

समिति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के तहत गठित ' राष्ट्रीय भू सुधार परिषद' के समक्ष रखी जानी है ।

--

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3621

(जिसका उत्तर गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2011/ 24 अग्रहायण,1933 (शक) को दिया जाना है)

भूमि बैंक

3621. श्री बैजयंत पांडा :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के समस्त नक्सली-प्रभावित जिलों में भूमि बैंक अथवा अर्ध-विधिक सहायता केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों/केन्द्रों के कृत्य क्या-क्या होंगे;

(ग) क्या उक्त केन्द्र/बैंक भू-बेदखली के सभी मामलों को दर्ज करते हुए भूमि को उसके वास्तविक हकदार को वापस देने हेतु कार्य करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) से (घ) : सरकार द्वारा देश के नक्सली प्रभावित जिलों में अर्ध-विधिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने संबंधी सुझाव पर विचार किया जा रहा है। ये अर्ध-विधिक सहायता केन्द्र संकेन्द्रित रूप से भूमि संबंधी विवादों का निपटारा कर सकेंगे। इसके अलावा, भूमि सुधारों में अधूरे कार्यों पर ध्यान देने के उद्देश्य से दिनांक 9.1.2008 के संकल्प के तहत माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में " राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों पर अधूरे कार्यों संबंधी समिति" नामक एक समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, जनजातीय भूमि के अपवर्जन, जिनमें वन आश्रित जन जातियों के परम्परागत मामले भी शामिल हैं, भूमि प्रयोग के पहलुओं आदि की जांच करना शामिल है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसने भूमि बैंक तथा भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट की सचिवों की एक उपयुक्त समिति (सचिवों की समिति) द्वारा जांच की गयी है तथा उक्त रिपोर्ट पर सिफारिशें 'भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद् ' के विचारार्थ प्रधान मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गयी हैं।

अनुलग्नक तेरह

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2646
(जिसका उत्तर गुरुवार, 29 मार्च, 2012/9 चैत्र, 1934 (शक) को दिया जाना है)

भूमि सुधार संबंधी समिति

2646 . श्रीमती मीना सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट में सुझाए गये उपायों का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में भूमि सुधारों संबंधी इन ठोस उपायों का क्रियान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) और (ख): जी, हां। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति' ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के ब्यौरे इस विभाग की वेबसाइट www.dolr.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): समिति ने अपनी रिपोर्ट " भू-सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद् " जिसका गठन इस पर विचार करने तथा निदेश देने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, के विचारार्थ प्रस्तुत कर दी है। इसी बीच, यह निर्णय भी लिया है कि समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इन्हें " भू-सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद् " को प्रस्तुत करने से पूर्व सचिवों की एक उपयुक्त समिति (सचिवों की समिति) द्वारा समिति की सिफारिशों की जांच की जाए। सचिवों की समिति ने इस रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन्हें परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। भू-सुधारों संबंधी विभिन्न मुद्दों पर परिषद् के निर्णय राज्यों में भू-सुधारों संबंधी कार्यक्रमों को एक नयी प्रेरणा देंगे।

अनुबंध-चौदह

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 6739
(जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मई, 2012/27 वैशाख,1934 (शक) को दिया जाना है)

भूमिहीन लोगों का भू-आबंटन

6739. श्री भरत राम मेघवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन अनुसूचित जातियों के परिवारों को राज्य सरकारों के पास उपलब्ध 'सवाई चक' भूमि आबंटित करने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में अनूसचित जातियों के सभी किसानों के लिए प्रत्येक खेत के लिए संपर्क मार्ग देने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है क्योंकि फिलहाल उनके पास अपने खेतों में जाने के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) से (घ): भूमि सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए दिनांक 9.1.2008 के संकल्प के तहत माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य " पर एक समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में भूमि सीमा कार्यक्रम की जांच करना, सरकारी बंजर भूमि का भूमिहीनों को वितरण, भूमिहीनों को भूदान भूमि का वितरण, गरीबों की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों तक पहुंच, वासभूमि अधिकारों से सम्बद्ध मुद्दे आदि शामिल हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसने भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित "भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद" के विचारार्थ एवं निदेशार्थ प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि समिति की सिफारिशों को "भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद" के विचारार्थ भेजे जाने से पूर्व समिति की सिफारिशों की सचिवों की एक उपयुक्त समिति (सचिवों की समिति) द्वारा जांच की जाए। तदनुसार, सचिवों की समिति द्वारा सिफारिशों की जांच कर ली गयी है तथा इसकी रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा प्रधान मंत्री कार्यालय को भेज दी गयी है। समिति की रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.dolr.nic.in पर उपलब्ध है।

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 302

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2012 को दिया गया

भूमि सुधार हेतु राष्ट्रीय परिषद

302 श्री वैजयंत जय पांडा
श्री पी. लिंगम
श्री गुरुदास दासगुप्तु

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की स्थापना होने के बाद से अभी तक इसकी एक भी बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि संबंधी नीतियों से संबंधित सात उप समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की परिषद द्वारा जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड·) परिषद को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) जी

(क) और (ख): जी, हां। 'भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद ' की पहली बैठक अभी की जानी है। तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों के साथ 'भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद ' के लिए एक प्रारंभिक बैठक माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 26 जून, 2012 को आयोजित की गयी थी।

(ग) और (घ): "राज्यअ कृषि सबंधों तथा भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य पर समिति" ने अपने आपको सात उप समूहों में संगठित किया है, प्रत्येक समूह विचारणीय विषयों के अनुसार अलग-अलग पहलू पर विचार करेगा। इन उप-समूहों द्वारा प्रस्तुरत की गयी रिपोर्टों के आधार पर उपर्युक्त समिति की मुख्य रिपोर्ट तैयार की गयी थी। यह रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.dolr.nic.in पर उपलब्ध है। परिषद् द्वारा रिपोर्ट की अभी जांच की जानी है।

(ड•): परिषद को सौंपी गयी जिम्मेदारियों में "राज्यं कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" की सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यंथा सामान्यं मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना तथा नीतिगत सिफारिशें करना है।

****

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4352
(जिसका उत्तर गुरुवार , 6 सितम्बर 2012/ 15 भाद्रपद,1934 (शक) को दिया जाना है)

भूमि सुधार अधिनियम

4352. श्री पी0सी0 गद्दीगौदर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भूमि सुधार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कृषि आधारित उद्योगों को रैयत के रूप में माना जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रैयत संघों ने प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण/ औचित्य है; और

(घ) इसके लागू होने पर इसके क्या संभावित प्रभाव होंगे ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिशिर कुमार अधिकारी)

(क) से (घ): भूमि तथा इसका प्रबंधन राज्य का विषय है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं0 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार अनन्य रूप से संबंधित राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विभिन्न राज्यों के अपने-अपने भूमि संशोधन अधिनियम हैं। इस विभाग के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि जहां किसी रैयत संघ ने किसी राज्य के भूमि संशोधन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया हो। तथापि, भूमि सुधारों संबंधी विभिन्न मुद्दों पर ध्यान रखने के उद्देश्य से " राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों पर अपूर्ण कार्यों पर " 9.1.2008 के संकल्प के तहत माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ भूमि हदबंदी कार्यक्रम/ काश्तकारी आदि से जुड़े हुए मुद्दों की गहराई से पुनरीक्षा करना शामिल था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसने भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित " भू-सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद " के समक्ष इसके विचारार्थ एवं निदेशार्थ रखा जाना है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि इन सिफारिशों पर विचार करने हेतु इन्हें " भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद " के संमुख प्रस्तुत करने से पूर्व सचिवों की एक उपयुक्त समिति (सचिव समिति) द्वारा इनकी जांच की जाए। तदनुसार, सचिव समिति द्वारा सिफारिशों की जांच कर ली गयी है। अब, सिफारिशों पर अगली कार्रवाई भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद् के निर्णय अनुसार ही की जाएगी।

अनुलग्नक - सत्रह

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1014
जिसका उत्तर 29 नवम्बर, 2012 को दिया जाना है

भूमि सुधार नीति

1014. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री महेन्द्रसिंह पी चौहाण:
क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को दलितों और जनजातियों के भूमि अधिकार को संरक्षित करने के लिये कानून के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने का परामर्श जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छह माह के भीतर एक राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का मसौदा तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों से परामर्श किया है चूंकि भूमि सुधार तथा राजस्व और न्यायिक न्यायालयों में लंबित मामलों के तीव्र निपटारे के लिये न्यायाधिकरण स्थापित करना अधिकांशत: उनकी जिम्मेवारी है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) राज्य द्वारा दिये गये सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री लाल चन्द कटारिया)

(क) तथा (ख): अधिकतर राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की भूमि पर अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून अधिनियमित किये हैं । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में भूमि का हस्तांतरण रोकने और उसका कब्जा बहाल करने के कड़े प्रावधान हैं । इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करती है ।

(ग) से (छ): इस विभाग ने भूमि सुधारों पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.10.2012 को एक कार्यबल का गठन किया है । कार्यबल के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ "राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति" का प्रारूप तैयार करना तथा राजस्व और न्यायिक अदालतों में लंबित पड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फॉस्ट ट्रैक न्यायाधिकरणों/अदालतों की स्थापना करने के लिए राज्यों के साथ उपयुक्त बातचीत का सुझाव देना और सिफारिश करना शामिल है । कार्यबल को अपनी अंतिम रिपोर्ट कार्यबल के गठन से छ: माह के भीतर प्रस्तुत करनी है । इसके अलावा, कार्यबल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इस मामले में कार्रवाई की जाएगी ।

अनुलग्नक - अठारह

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1261

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2013 को दिया गया

भूमि सुधार नीति

1261 श्री एम. कृष्णास्वामीः

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन,

श्री आर. ध्रुवनारायणः

: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनुसूचित जातियों की भू-धरिता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अनुसूचित जातियों की भू-धरिता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के लिए एक नयी भूमि सुधार नीति बनाने का है;और

(ङ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) जी

(क) और (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट संख्याग 543 के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों द्वारा धारित भूमि का राज्यत/संघ राज्यौक्षेत्र वार ब्यौयरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न् है।

(ग): भूमि और इसका प्रबंधन राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है जैसाकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टी संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। तथापि, राज्यी सरकारों/संघ राज्या क्षेत्रों के प्रशासनों से पात्र ग्रामीण गरीबों को निर्धारित सीमा तक सरप्लकस भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वतयन का अनुरोध समय-समय पर किया गया है।

(घ) और (ड.): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्री य भूमि सुधार नीति का प्रारूप तैयार किया गया है तथा राज्या सरकारों से और सिविल सोसायटी के सदस्योंज से सुझाव और टिप्पिणियां मांगी गई हैं। उपरोक्त् नीति का ब्यौपरा भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट www.dolr.nic.inपर उपलब्धि है।

****

अनुलग्नक- उन्नीस

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3688

दिनांक 13 फरवरी, 2014 को उत्तरार्थ

बंजर भूमि का विकास

3688. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चिंहित बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल और तत्संबंधी प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भूमि सुधार और बंजर भूमि विकास के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने के लिए शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति के सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री लालचन्द कटारिया)

(क): भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र, हैदराबाद के सहयोग से प्रकाशित "भारत की बंजरभूमि एटलस-2011- 2005-06 और 2008-09 के अस्थाई उपग्रह डाटा पर आधारित परिवर्तन विश्लेषण" के अनुसार देश में बंजरभूमि का क्षेत्रफल 467021.16 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 14.75 प्रतिशत है।

(ख) और (ग): राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य पर भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के दिनांक 9 जनवरी, 2008 के संकल्प द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से एक वर्ष तक था। इस समिति के विचारार्थ विषय चकबंदी कार्यक्रमों, भूदान भूमि, काश्तकारी, जनजातीय भूमि के हस्तांतरण, त्वरित निर्णय हेतु (फास्ट ट्रैक) न्यायालयों की स्थापना से संबंधित मुद्दों और अन्य संगत मुद्दों की जांच करना थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के विचाराधीन है। इस कार्य के लिए गठित दल में शामिल सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए थे, जिन्हें प्रशासन, शैक्षणिक, सामाजिक कार्य और निम्नतम स्तर पर आयोजना आदि का पर्याप्त अनुभव प्राप्त था।

*****

अनुल-८१-बीस

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4231

दिनांक 20 फरवरी, 2014 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद

4231. श्री अशोक तंवर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2007 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिषद में अब तक चर्चा की गई विषयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री लालचन्द कटारिया)

(क) से (ग): इस मंत्रालय ने "राज्य कृषि संबंध एवं भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" की सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा कृषि संबंधों और भूमि सुधारों के बारे में नीतिगत सिफारिशों के व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए 09 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन किया है। इस परिषद की पहली बैठक अभी आयोजित की जानी है।

*****

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2723
जिसका उत्तर 12 मार्च, 2015 को दिया गया

गरीबों को भूमि का आवंटन

2723. प्रो. सौगत राय:
क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमिहीन गरीबों को भूमि वितरण करने के लिए "प्रारूप भूमि सुधार-नीति"की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) इस संबंध में भूमिहीन गरीबों को वितरित की गई भूमि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस संबंध में भूमि के वितरण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है,यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस प्रयोजन हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मामदंड निर्धारित किए गए हैं।

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदर्शन भगत) जी

(क): प्रारूप भूमि सुधार नीति सरकार के विचाराधीन है।

(ख): भूमिहीन गरीबों को वितरित की गई भूमि का राज्यत/संघ राज्यर क्षेत्र वार ब्यौयरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन, राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। भूमि सुधार के विषय में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल परामर्शी और समन्वेयन किस्म् की है।

****

अनुल-ए1- बाईस

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं0 294
दिनांक 15 मार्च, 2018 को उत्तरार्थ

भूमि सुधार

***294. श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ाः**
क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की स्थिति की जाँच की गई है;
(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भूमि सुधार को शीघ्रता से लागू करने के लिए कोई निदेश दिए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश, यदि कोई हों, जारी किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 15.03.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 294 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): राज्य सूची में प्रविष्टि 18 और प्रविष्टि 45 के अनुसार 'भूमि' राज्य का विषय है। 'भूमि' से संबंधित कानून बनाने की शक्तियां राज्य विधानमंडलों के पास हैं।

'भूमि' से संबंधित उपबंध इनमें भी दिए गए हैं: अनुच्छेद 239कक: दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध; अनुच्छेद 371क: नागालैण्ड के संबंध में विशेष उपबंध; अनुच्छेद 371छ: 'मिजोरम के संबंध में विशेष उपबंध; पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध; छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध।

'भूमि' और इसके प्रशासन के संबंध में प्रत्येक राज्य के अपने- अपने राज्य विशिष्ट राजस्व कानून हैं।

राज्य मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने-अपने राज्य (राज्यों के विधानमंडल) के संबंधित विधि निर्माताओं के विवेक से राज्य विशिष्ट भूमि सुधार कर रहे हैं (और करते रहेंगे)।

(i) भूमि जोतों की हदबंदी

-भूमि के समान वितरण के लिए

(ii) कृषि प्रयोजनों, आवासीय प्रयोजनों, कुटीर उद्योगों के लिए भूमि का वितरण (भूमिहीनों/सीमांतक और लघु किसानों/ग्रामीण कारीगरों..... के लिए)

- हदबंदी लगाने के बाद प्राप्त भूमि से

- ग्राम सभा की सामुदायिक भूमि से

- सरकार की भूमि से

(iii) राज्य और किसान के बीच मध्यस्थ समाप्त करना (जमींदारी उन्मूलन)

- राज्य और किसान के बीच मध्यस्थ समाप्त करना

- किसानों को काश्तकारी के अधिकार

अंतरणीय अधिकारों सहित

अंतरणीय अधिकारों के बिना (विरासत में)

पट्टेदार

सरकारी पट्टेदार

(iv) जोतों को टुकड़ों में बंटने से रोकना

(v) जोतों का समेकन

- टुकड़ों में बंटी भूमि जोतों को समेकित करना

- साझा/सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए भूमि उपलब्ध कराना

(vi) काश्तकारी सुधार

ऐसा कोई केन्द्रीय डाटाबेस नहीं है जिसमें सभी राज्य विशिष्ट राजस्व कानूनों और पूरे देश के सभी विभिन्न राज्यों द्वारा आज तक किए गए सभी राज्य विशिष्ट भूमि सुधारों की सूचना हो।

'भूमि', (राज्य-विशिष्ट) राजस्व नियमों, 'भूमि' के संबंध में सामाजिक-आर्थिक परिवेश, विशिष्ट भूमि सुधारों की प्रासंगिकता जरूरत/उपयुक्तता/वांछनीयता, आदि के संबंध में देश में अलग-अलग राज्यों में अत्यधिक विविधता है।

अन्य के साथ-साथ प्रारूप राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति तैयार करने और भूमि सुधारों संबंधी मामलों में राज्यों के साथ उचित संवाद प्रक्रिया शुरू करने और उचित एडवायजरी देने का सुझाव देने व सिफारिश करने के लिए 22.10.2012 को ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में भूमि सुधार संबंधी कार्यबल का गठन किया गया। कार्यबल की सिफारिशों पर यथा उचित आगे की कार्रवाई और निर्णय की प्रक्रिया चल रही है।

अनुलग्नक-तीन

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1398

दिनांक 20 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति 2013

1398. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा प्रारूप राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति 2013 को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश में भूमिहीनता और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से भूमि का अधिकार कानून का विकास करने/प्रारूप राष्ट्रीय भूमि का अधिकार विधेयक, 2013 पारित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) कार्यदल द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का प्रारूप परीक्षणाधीन है। इसके अलावा राज्य सूची में प्रविष्टि 18 और प्रविष्टि 45 के अनुसार, 'भूमि' राज्य का विषय है। 'भूमि' से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्यों के विधानमण्डलों में निहित है। प्रत्येक राज्य के 'भूमि' और इससे जुड़े मामलों के संबंध में उनके अपने राज्य विशिष्ट राजस्व कानून हैं।

(ख) पीएमएवाई-जी के अधीन भूमिहीन लाभार्थी के मामले में, राज्यों को यह सुनिश्चित करना होता है कि लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि (पंचायत सार्वजनिक भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि उपलब्ध कराई गई है। भूमिहीन लाभार्थियों को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाती है और उन्हें अग्रता सूची में शीर्ष स्थान पर रखा जाता है। भूमिहीन लाभार्थी को मकान के आबंटन में छोड़ा नहीं जा सकता। दिनांक 10.09.2020 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 4,48,053 भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान की गई है और 1,81,319 लाभार्थियों को पहले ही भूमि आबंटित की जा चुकी है।

*****

परिशिष्ट - तीन

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 90

विषय :"हरिपुर से एनपीपी को अन्य स्थान पर ले जाना" विषय से संबंधित दिनांक 16.03.2016 के अतारांकित प्रश्न सं .2997 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

****

16 मार्च, 2016 को श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी, संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं .2997 पूछा । प्रश्न की विषयर अनुबंध में दिए और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तवस्तु-गए हैं ।

2 सन माना गया तथार को आश्वा के उत्तसमिति द्वारा प्रश्नपरमाणु ऊर्जा विभाग को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में, परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 1 अगस्त, 2018 के का .सं .ज्ञा. 20/1(6)/2016-आई&एम (एनएफसी) के माध्यम से निम्नवत् बताया-:

" आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 903.35 एकड़ में से, एनएफसी, एलडब्ल्यूआर ईंधन विरचना(12 रिएक्टर पुनः लोड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए) और 4 पीएफबीआरएस के लिए एसएस ट्यूबों की विरचना हेतु 300 एकड़ का उपयोग करना चाहता था । शेष एचडब्ल्यूबी के लिए था जिन्होंने सूचित किया है कि वे भूमि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। एलडब्ल्यूआर सुविधाओं की स्थापना के संबंध में विभाग में एक बार फिर आवश्यकता की समीक्षा की गई और यह राय दी गई कि समय के साथ-साथ किये जा रहे संवर्धनों के साथ मौजूदा सुविधाएं प्रस्तावित एलडब्ल्यूआर सुविधा की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। पीएफबीआर सुविधा के सम्बन्ध में, रसद लाभ, बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा को देखते हुए पीएफबीआरएस के लिए प्रस्तावित स्थान में विरचना सुविधा को सह-स्थापित करने का सुझाव दिया गया। चर्चा के आधार पर यह सूचित किया जाता है कि एनएफसी, कुरनूल में भूमि की आवश्यकता प्रस्ताव को वापस लेना चाहेगी। । "

4. समिति द्वारा 24 फरवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में आश्वासन को छोड़ने के अनुरोध पर विचार किया गया और अस्श्वासन को न छोड़ने का निर्णय लिया गया । तदनुसार, समिति

ने 09 फरवरी, 2021 को अपना चौदहवां प्रतिवेदन (सत्रवीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और यह महसूस किया कि इस मामले को इसके तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए इस पर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जाये |

5. तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 13 मई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/1(6)/2016-आई&एम (एनएफसी) द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बताया :

"परमाणु ईंधन परिसर, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, हैदराबाद (एनएफसी, हैदराबाद) ने 16 अतिरिक्त प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन निर्माण सुविधा की स्थापना करने का प्रस्ताव किया ।इस संबंध में, ईंधन निर्माण सुविधा की स्थापना के लिए भूमि और सुविधाओं की आवश्यकता हेतु राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए थे ।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता को देखने के लिए और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने हेतु इसकी रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करने के लिए एक साइट चयन समिति का गठन किया गया था । आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुरनूल में प्रस्तावित भूमि समिति द्वारा देखी गई साइटों में से एक थी। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए भूमि की पेशकश की गई थी।

तत्कालीन चीफ एक्सेक्यूटिव, एनएफसी द्वारा आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के साथ चर्चा के दौरान, यह बताया गया कि काम तुरंत शुरू हो जाएगा और भूमि खाली नहीं रहेगी

परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ईंधन परिसर और हैवी वाटर बोर्ड को विभाग के अन्य कार्यक्रमों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की जांच करने के लिए कहा।

एनएफसी ने विभाग की विभिन्न आवश्यकताओं पर काम किया और 12X1000 मेगावाट वीवीईआरएस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन ट्यूब और अन्य घटकों के उत्पादन के लिए 75 टीपीवाई क्षमता की जिरकलॉय फैब्रिकेशन फैसिलिटी के साथ 300 टीपीवाई वीवीईआर (एलडब्ल्यूआर) फ्यूल फैब्रिकेशन फैलिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसे एनपीसीआईएल द्वारा स्थापित किया जाना है और दो 500 मेगावाट एफबीआरएस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 400 टीपीवाई क्षमता का एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब प्लांट भी जिसे भाविनी द्वारा स्थापित किया जाना है ।

विभाग में आवश्यकता की समीक्षा की गई और यह राय दी गयी कि मौजूदा सुविधाओं के साथ-साथ मौजूदा सुविधाओं के भीतर किए जा रहे संवर्द्धन प्रस्तावित एलडब्ल्यूआर सुविधा की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और एफबीआरएस के लिए

स्टेनलेस स्टील ट्यूब योजना के संबंध में पीएफबीआरएस के लिए प्रस्तावित स्थान में फैब्रिकेशन सुविधा की सह-स्थापना कर सकते हैं ।

इसके अलावा, एनएफसी, हैदराबाद में किए गए तकनीकी विकास, उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और एनएफसी, हैदराबाद के भीतर विभिन्न संवर्द्धन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण ईंधन निर्माण क्षमता दोगुनी हो गई है और एनएफसी, हैदराबाद और एनएफसी, कोटा में भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण पीएचडब्ल्यूआर कार्यक्रम के लिए ईंधन की कुल आवश्यकता को भी पूरा किया जा सकता है ।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अगले दस वर्षों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए कुरनूल में भूमि की खरीद के प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया था ।

तदनुसार, उपरोक्त निर्णय को दिनांक 02.08.2018 के पत्र के माध्यम से उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एपीआईआईसी, कुरनूल को उपयुक्त रूप से यह उल्लेख करते हुए सूचित किया गया कि परमाणु ईंधन परिसर को अगले लगभग 10 वर्षों के लिए भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है।

चूंकि कुरनूल में उपरोक्त संयंत्रों/सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता को वापस ले लिया गया है, इसलिए आश्वासन लागू नहीं होता है और इसे पूरा करना मुश्किल है।"

6. उपरोक्त को देखते हुए, विभाग ने राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) के अनुमोदन से एक बार फिर समिति से आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है। 6.

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली:
दिनांक : 27/08/2021

अनुलग्नक

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
16.03.2016 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2997

हरिपुर से एनपीपी को अन्य स्थान पर ले जाना

2997. श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हरिपुर से परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम तथा नेल्लौर के बीच किसी स्थान पर ले जाने की कोई पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार/न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुरनूल में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स स्थापित करने का भी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि, रूसी सहयोग से नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की स्थापना के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य में एक अतिरिक्त तटीय स्थल का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में, भारत सरकार की स्थल चयन समिति ने, राज्य में उपयुक्त तटीय स्थलों का पता लगाने और तकनीकी अध्ययनों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की है।

(ग) तथा (घ) जी, हाँ। कुरनूल, आंध्र प्रदेश में 300 टन प्रति वर्ष (टीपीवाई) क्षमता वाली एक ईंधन संविरचन सुविधा और 75 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक जरकालॉय संविरचन सुविधा, तथा 400 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एक स्टेनलैस स्टील ट्यूब संयंत्र (एसएसटीपी), की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****

परिशिष्ट - चार

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 91

विषय: विषय 'युरेनियम और प्लुटोनियम की खोज' से संबंधित दिनांक 18.08.2010 के अतारांकित प्रश्न सं. 4112 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

18 अगस्त, 2010 को श्री रामसिंह राठवा और तीन अन्य संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 4112 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2 समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा परमाणु ऊर्जा विभाग को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने दिनांक 15 जनवरी, 2015 के का.ज्ञा. सं. 12/12/(9)/2010-I&M(AMD)/ 555 के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है/निम्नवत् बताया:-

"(I) लंबापुर यूरेनियम परियोजना

कि लंबापुर, आंध्र प्रदेश स्थित 997.71 करोड़ की संशोधित अनुमोदित लागत वाली यूरेनियम अयस्क खनन और मिलिंग परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है अर्थात (i) भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचा विकास, वैधानिक मंजूरी और पर्यावरण प्रबंधन, आदि (लागत 96.507 करोड़), जिसके 2 वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है और (ii) निर्माण गतिविधियाँ, जिसके 3 वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है (लागत 901.21 करोड़)। हालाँकि, वास्तविक खनन और प्रसंस्करण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा और इसलिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(II) रोहिल, राजस्थान में अन्वेषण खनन

अन्वेषण खनन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता को देखते हुए खनन गतिविधियों हेतु भूजल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए भू-वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया है और भूजल की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए जल्द ही ड्रिलिंग शुरू किए जाने की संभावना है।

(III) वाहकिन, मेघालय में अन्वेषणात्मक खनन

वाहकिन में अन्वेषणात्मक खनन के प्रस्ताव को वहाँ के स्थानीय लोगों लोगों द्वारा यूरेनियम खनन के कड़े विरोध के कारण स्थगित रखा गया है। यूरेनियम खनन और मिलिंग के निर्माण के लिए भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं के लिए निश्चित समय-सीमा विभिन्न कारकों के कारण निर्धारित नहीं की जा सकती जैसे कि वैधानिक मंजूरी, विभिन्न अध्ययन और यूरेनियम खनन के खिलाफ स्थानीय आबादी का विरोध। पूर्ववर्ती के मद्देनजर, ऊपर उद्धृत कारणों की वज़ह से आश्वासन पूर्ण माना जाए। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (लोकसभा) कृपया इस आश्वासन को हटा दिया गया मान लें।

4. समिति ने 19 नवंबर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में आश्वासन छोड़ने संबंधी उपरोक्त अनुरोध पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि आश्वासन को नहीं छोड़ा जाए। तदनुसार, समिति ने दिनांक 21 दिसंबर 2015 को अपनी 26 वीं रिपोर्ट (16 वीं लोकसभा) प्रस्तुत की और इच्छा व्यक्त कि इस मामले को सभी संबंधितों के साथ उठाया जाए और सख्ती से आगे बढ़ाया जाए।

5. हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 01 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/12(9)/2010-I&M(AMD)/7496 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:-

"अन्वेषी खनन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

I. <u>रोहिल, जिला सीकर, राजस्थान</u>

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा यूसीआईएल और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार, एएमडी की ओर से अन्वेषणात्मक खनन गतिविधि दिनांक 11.04.2016 को शुरू की गई है। भूमिगत कामकाज तक पहुंच बनाने के लिए 188 मीटर लंबाई तक का डिक्लाइन (8°) का पोर्टल विकसित किया गया है जो सतह से 26.4 मीटर ऊर्ध्वाधर गहराई के समान है। मेसर्स मेकॉन को परियोजना संबंधी कार्यकलाप करने के लिए सलाहकार के रूप में रखा गया है। एएमडी ने परमाणु खनिज रियायत नियम 2016 के अनुसार डीएमजी, राजस्थान को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), राजस्थान द्वारा राज्य सरकार का आशय पत्र [नियम - 6 (2), एएमसीआर, 2016] के तहत यूसीआईएल को जारी किए जाने के बाद टीओआर के लिए आवेदन एमओईएफ&सीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। डीएई ने रोहिल में खनन कार्य करने के लिए यूसीआईएल को संभावित पट्टेदार के रूप में नामित किया है। खनन पट्टा आवेदन खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान को प्रस्तुत किया गया है।

II. <u>वाहकिन, पश्चिम खासी हिल्स जिला, मेघालय:</u>

यूसीआईएल की वर्तमान में वाहकिन (मेघालय) में अन्वेषण खनन की कोई भी गतिविधि शुरू करने की योजना नहीं है। इसके अलावा, प्रस्तावित किंशी चरण - II जल विद्युत परियोजना (एचईपी), जिला वेस्ट खासी हिल्स, मेघालय से यूरेनियम की खोज और प्रस्तावित अन्वेषण खनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

दिनांक 25 जुलाई, 2018 को कैंप वाहकाजी, जिला वेस्ट खासी हिल्स, मेघालय में हुई एक अप्रिय घटना के बाद, एएमडी की सभी अन्वेषण गतिविधियों को मेघालय राज्य में निलंबित कर दिया गया है। एएमडी की अन्वेषण गतिविधियों को संयुक्त सचिव, खनन और भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार के सुझाव और परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश के बाद मेघालय राज्य में निलंबित कर दिया गया है।

III. <u>पेड्डागट्टू - लम्बापुर, जिला नालगोंडा, तेलंगाना (पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश):</u>

यूसीआईएल ने पेड्डागट्टू में अन्वेषण खनन के लिए एएमडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लंबापुर में यूरेनियम भंडार पहले ही वाणिज्यिक दोहन के लिए यूसीआईएल को सौंप दिया गया है। "यूसीआईएल का एक खुला गड्ढा और तीन भूमिगत खदानें बनाने का प्रस्ताव है। खदान स्थल से लगभग 48 किमी दूर एसिड लीचिंग तकनीक पर आधारित एक केंद्रीय संयंत्र बनाने की योजना है।"

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने अभी तक संस्थापना हेतु सरकार की सहमति (सीएफई) जारी नहीं की है और फलस्वरूप राज्य सरकार ने खनन पट्टा प्रदान नहीं किया है।

हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, माननीय तेलंगाना राज्य विधानसभा ने तेलंगाना राज्य के नल्लामला वन क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में यूरेनियम अयस्क के खनन कार्यों की अनुमति या परमिट नहीं देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने से संबंधित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव अपनाया है।

ऊपर प्रस्तुत वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विभिन्न कारकों के कारण अन्वेषण खनन से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है। इसलिए निकट भविष्य में आश्वासन को पूरा करना संभव नहीं होगा।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, विभाग ने राज्य मंत्री (परमाणु ऊर्जा) के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली:

दिनांक: 27.08.2021

अनुबन्ध

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

18.08.2010 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 4112

यूरेनियम एवं प्लूटोनियम की खोज

4112. श्री रामसिंह राठवा :
श्री धनश्याम अनुरागी :
श्री पी0 बलराम :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने अपने अभिकरणों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में प्लूटोनियम और यूरेनियम के नए भंडारों की खोज करने में सफलता पाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि के दौरान खोजे गए इन धातुओं की मात्रा स्थान-वार एवं अभिकरण-वार कितनी है; और

(ग) परमाणु संयंत्रों में शांतिपूर्ण उपयोग हेतु इन धातुओं को और परिष्कृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :

(क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के एक संघटक यूनिट परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद ने, भारत में यूरेनियम के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य किया है, और 31.05.2010 की स्थिति के अनुसार 1,47,898 मीटरी टन यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एएमडी द्वारा पता लगाए गए यूरेनियम स्रोत निम्नानुसार हैं :

(मीटरी टन में आंकड़े)

क्षेत्र	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
रोहिल	राजस्थान	547	220	795
कोप्पुनुर	आंध्र प्रदेश	1,228	--	293
पेड्डागट्टु	आंध्र प्रदेश	1,407	--	854
तुम्मलापल्ली	आंध्र प्रदेश	1,690	12,007	14,131
चित्रियाल	आंध्र प्रदेश	--	--	440
गोगी	कर्नाटक	--	449	--
लोरस्टॉइन	मेघालय	--	12	7
	कुल :	**4,872**	**12,688**	**16,520**

प्रकृति में प्लूटोनियम नहीं पाया जाता। प्लुटोनियम का उत्पादन नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय तत्वांतरण द्वारा किया जाता है। इसलिए, प्लूटोनियम के स्रोतों का पता सर्वेक्षण तथा अन्वेषण द्वारा नहीं लगाया जा सकता।

(ग) आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुम्मलापल्ली नामक स्थान पर, परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा एक यूरेनियम खान का निर्माण किया जा रहा है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में गोगी नामक स्थान पर, अयस्क पिण्ड विन्यास के निरूपण के लिए और यूरेनियम की प्राप्ति के लिए फ्लोशीट तैयार करने के लिए ठोस नमूने प्राप्त करने के लिए अन्वेषणात्मक खनन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में पेड्डागट्टु-लम्बापुर, राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल और मेघालय में पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ जिले में वाखिन में अन्वेषणात्मक खनन करना विचाराधीन है।

****

परिशिष्ट - पाँच

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 92

विषय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए आश्वासनों को छोड़ने का अनुरोध:

(एक) 'निजता का अधिकार संबंधी विधेयक' विषय से संबंधित दिनांक 28 मार्च, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 2410 (अनुबंध-एक)

(दो) ' निजता का अधिकार संबंधी विधेयक' विषय से संबंधित दिनांक 16 मई, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 6496 (अनुबंध-दो)

(तीन) ' निजता पर एक पृथक विधेयक' विषय से संबंधित दिनांक 12 दिसंबर, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 3201 (अनुबंध-तीन)

(चार) ' व्यक्तियों की निजता संबंधी पैनल' विषय से संबंधित दिनांक 19 दिसंबर, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 4154 (अनुबंध-चार)

(पाँच) ' निजता का अधिकार विधेयक से छूट' विषय से संबंधित दिनांक 09 दिसंबर, 2015 के अतारांकित प्रश्न सं. 1714 (अनुबंध-पाँच)

विभिन्न संसद सदस्यों ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री से उपर्युक्त प्रश्न पूछे । प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्रियों द्वारा दिए गये उत्तर अनुबंधों (एक से पाँच) में दिए गए हैं ।

2 समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय ने अपने दिनांक 21 नवंबर, 2014 के का.ज्ञा. सं. 2/45/2013-आईआर के माध्यम से क्रम सं. (i) – (iv) में उल्लिखित आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

(एक) कि निजता के अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार करके 27 मई, 2011 को सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां भारत के अटॉर्नी जनरल भी उपस्थित थे। सीओएस ने कुछ टिप्पणियां कीं और निर्णय लिया कि डीओपीटी समिति की टिप्पणियों के अनुसार विधेयक का पुन मसौदा तैयार करेगा और इसे पुनर्विचार के लिए रखेगा । समिति की टिप्पणियों के अनुसार डीओपीटी द्वारा इस विधेयक को पुन तैयार किया गया था। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट 22.10.2012 को प्राप्त हुई थी।

(दो) सचिवों की समिति के लिए एक नोट का मसौदा विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और इसे 17-01-2013 को सीओएस की बैठक के समक्ष रखा गया था । सीओएस की इच्छानुसार गृह सचिव, दूरसंचार विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को विधेयक के मसौदे के बारे में जानकारी और मसौदा पर सुझाव देने को कहा गया है ।

(तीन) सचिव (पी) द्वारा 30-04-2013 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई थी और यह निर्णय लिया गया है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार और निजता संबंधी विशेषज्ञ समूह (जस्टिस शाह की रिपोर्ट) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विधेयक को फिर से तैयार किया जाएगा ।

(चार) तदनुसार, डीओपीटी द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और 6 जून, 2013 को कानूनी मामलों और विधायी विभाग को भेजा गया था। विधायी विभाग द्वारा विधेयक के मसौदे में सुझाए गए बदलावों के साथ-साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा प्रकट की गई चिंताओं को निजता का अधिकार विधेयक, 2014 के मसौदे में शामिल किया गया था । सीओएस नोट के साथ विधेयक के मसौदे को सचिवों की समिति के विचार के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय भेजा गया था । दो बार सीओएस की बैठक स्थगित की गई। सीओएस नोट बाद में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा कुछ टिप्पणियों के साथ वापस आ गया था ।

(पाँच) 20.08.2014 को निजता का अधिकार संबंधी विधेयक पर राज्यमंत्री (पीपी) द्वारा एक बैठक का आयोजन की थी। आसूचना एजेंसियों और गृह मंत्रालय के साथ और विस्तृत चर्चा करने का निर्णय लिया गया।

4. 12 अगस्त, 2015 को हुई बैठक में समिति द्वारा आश्वासनों को छोड़ने के उपरोक्त अनुरोध पर विचार किया गया था और आश्वासनों को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया गया था क्योंकि मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बावजूद निजता का अधिकार संबंधी विधेयक को आज तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। समिति ने तदनुसार 21 दिसबंर, 2015 को अपनी 24वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) प्रस्तुत की जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की आवश्यकता है और इसे आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

5. तथापि, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने दिनांक 14 मार्च 2018 की का.ज्ञा. सं. 17/2/2010-आईआर (पीटी)के माध्यम से क्रम सं. (पाँच) में

उल्लिखित आश्वासन के साथ उपरोक्त चार आश्वासनों को निम्नलिखित आधारों पर छोड़ने का अनुरोध किया था:-

"(क) कि डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर गौर करने के लिए सचिवों की समिति (सीओएस) का गठन किया गया था । सीओएस ने निजता के अधिकार की रक्षा के लिए एक व्यापक विधान की सिफारिश की । प्रारंभ में इस विभाग का मानना था कि कानूनी मामलों का विभाग या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस कानून के लिए नोडल विभाग हो सकता है । हालांकि मंत्रीमंडल सचिवालय के आग्रह पर डीओपीटी को निजता का अधिकार संबंधी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। तदनुसार, निजता का अधिकार संबंधी विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और इस विभाग द्वारा विचार किया जा रहा था । निजता का अधिकार संबंधी विधेयक के मसौदे का एक प्रमुख हिस्सा डेटा संरक्षण/डेटा गोपनीयता और इसे विनियमित करने के लिए संरचना से संबंधित था । अंतर-मंत्रालयी परामर्श चल रहा था। हालांकि, आसूचना एजेंसियों की चिंताओं के कारण जो आशंकित थे और पूर्ण छूट चाहते थे, निजता का अधिकार संबंधी विधेयक कोई बड़ी बदलाव ला नहीं सका ।

(ख) आधार को सरकारी योजनाओं/बैंक खातों आदि से जोड़ने के साथ; डेटा गोपनीयता और संरक्षण के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई थीं । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त, 2018 को दिए गए अपने निर्णय में "निजता का अधिकार" पर अपना फैसला दिया। यह तय हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डाटा संरक्षण कानून के लिए संरचना पर काम करेंगी। तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कानून के मसौदे को आगे बढ़ाया है । डाटा संरक्षण अधिनियम में उन प्रावधानों की पर्याप्त नीति शामिल होगी, जिन्हें निजता का अधिकार संबंधी विधेयक के मसौदे में शामिल किया गया था ।

चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक "डाटा संरक्षण कानून" तैयार कर रहा है, इसलिए विभाग ने यह निर्णय लिया गया है कि वह डेटा संरक्षण कानून के लागू होने का इंतजार करे और उसके बाद यह आकलन करे कि क्या गोपनीयता संबंधी अन्य चिंताओं को दूर करने के लिए निजता का एक अलग अधिकार संबंधी विधेयक को यदि उन समस्याओं को डेटा संरक्षण कानून में उपयुक्त रूप से संबोधित नहीं किया गया हो तो बनाने की आवश्यकता है ।

सरकार/ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डेटा संरक्षण कानून को आगे बढ़ाना जा रहा है जो गोपनीयता से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करेगा ।"

6. 24 जनवरी, 2020 को हुई बैठक में समिति द्वारा आश्वासनों को छोड़ने के उपरोक्त अनुरोध पर विचार किया गया था और आश्वासनों को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया गया था क्योंकि मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बावजूद निजता के अधिकार विधेयक को आज तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। समिति ने तदनुसार 23 सितम्बर, 2021 को अपनी 12वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) प्रस्तुत की जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण आश्वासनों को उनकी तार्किक स्थिति में नहीं लाते हैं और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे डाटा संरक्षण कानून को अलग परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जा रहा है। इसलिए समिति ने मंत्रालय से इस मामले को सख्ती से आगे बढ़ाने और आश्वासन को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया ।

7. तथापि, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 की का.ज्ञा. सं. 17/2/2010-आईआरके माध्यम से निम्नवत: बताया:-

> "चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एक "डेटा संरक्षण कानून" तैयार कर रहा है और विभाग में यह निर्णय लिया गया था कि डेटा संरक्षण कानून के लागू होने का इंतजार किया जाए और उसके बाद यह आकलन किया जाए कि क्या गोपनीयता संबंधी अन्य चिंताओं को दूर करने के लिए निजता का एक अलग अधिकार विधेयक को यदि उन समस्याओं को डेटा संरक्षण कानून में उपयुक्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है तो आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम स्थिति नीचे उल्लेखित है:-

तत्पश्चात, माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में "व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019" पेश किया गया। । बाद में इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के तहत विचाराधीन है।"

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुन: अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली:

दिनांक: 27/08/2021

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

अनुबन्ध - एक

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2410

(दिनांक 28.03.2012 को उत्तर के लिए)

निजता का अधिकार संबंधी विधेयक

2410. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री रघुवीर सिंह मीणा:
श्री अवतार सिंह भडाणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित निजता का अधिकार विधेयक व्यक्ति विशेष तथा राजनीतिज्ञों की फोन टेपिंग तथा टेलीफोन पर की गई बातचीत को बाधित करने के विरुद्ध कोई रक्षा प्रदान नही करेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय मंत्रालयों, को इस संबंध में कुछ आपत्तियां हैं और वे व्यक्ति विशेष के अवैध फोन टेपिंग किये जाने के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)

(क) से (घ) : सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है, जो व्यक्ति विशेषों की, गलत ढंग से व्यक्तिगतता के उल्लंघन के मामले में, उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा।
विधेयक के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप देना है।

अनु-६।-दो

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 6496

(दिनांक 16.05.2012 को उत्तर के लिए)

निजता का अधिकार विधेयक

6496. श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किसी निजता का अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कब तक इस विधेयक को अधिनियमित किया जाएगा?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी)

(क) से (ग): केंद्र सरकार एक विधान का मसौदा तैयार कर रही है जो व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करेगा यदि उनकी निजता गैर-कानूनी तरीकों से भंग होती है । इस विधायन का प्रारूपण प्रारंभिक स्तर पर है और इसके ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाना है ।

****

अनुबन्ध तीन

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3201

(दिनांक 12.12.2012 को उत्तर के लिए)

निजता पर एक पृथक विधेयक

3201. **श्रीमती श्रुति चौधरी:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजता पर एक पृथक विधेयक अधिनियमित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(श्री वी. नारायणसामी)

(क) और (ख) : केन्द्र सरकार एक अधिनियम का प्रारूप तैयार कर रही है जिससे व्यक्ति विशेष को सुरक्षा प्राप्त होगी यदि उसकी निजता गैर-कानूनी रूप से भंग की जाती है । अधिनियम का प्रारूपण प्रारंभिक स्तर पर है और विधान के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।।

*****

अनुबंध-चार

भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4154
दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को उत्तर देने के लिए

व्यक्तियों की निजता संबंधी पैनल

4154. श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने व्यक्तियों के निजता संबंधी मुद्दों पर कोई पैनल गठित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस पैनल ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

राज्य मंत्री - संसदीय कार्य और योजना
(श्री राजीव शुक्ल)

(क) और (ख) : जी हां । योजना आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में निजता संबंधी मुद्दों पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ:

(i) विभिन्न देशों द्वारा लागू किए गए निजता (प्राइवेसी) कानूनों एवं संबंधित विधेयकों का अध्ययन करेगा ।
(ii) विभिन्न कार्यक्रमों एवं निजता पर उनके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेगा ।
(iii) प्रस्तावित निजता संबंधी विधेयक के मसौदे में शामिल करने हेतु विचार करने के लिए विशिष्ट सुझाव देगा ।

(ग) से (ङ) : विशेष समूह ने 16 अक्तूबर, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । रिपोर्ट में निजता के दृष्टिकोण से संगत विधानों/विधेयकों के विश्लेषण सहित अंतरराष्ट्रीय निजता सिद्धांतों, राष्ट्रीय निजता सिद्धांतों, औचित्य एवं उभरते हुए मुद्दों को कवर किया गया है । विचार-विमर्श एवं विस्तृत विश्लेषण के आधार पर समूह ने कई सुझावों की पहचान की है । रिपोर्ट की प्रति योजना आयोग की वेबसाइट पर डाल दी गई है तथा प्रस्तावित निजता अधिकार विधेयक को अंतिम रूप देते हुए इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उपयुक्त विचार हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सचिवों की समिति की बैठक के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को नोट भेज दिया है । नोट में विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करना शामिल है ।

****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1714

(दिनांक 09.12.2015 को उत्तर के लिए)

निजता का अधिकार विधेयक से छूट

1714. श्री आर.पी. मरुदराजा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजता का अधिकार विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की आसूचना एजेंसियों की मांग नामंजूर कर दी है; और

(ख) क्या सरकार ने 2011 प्रारूप विधेयक जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए था से भिन्न भारत के सभी निवासियों पर प्रस्तावित कानून लागू करने के प्रावधान को भी पुनः लागू करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : निजता का अधिकार विधेयक का प्रारूपण प्रारंभिक स्तर पर है और विधेयक के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

*****

परिशिष्ट - ६६

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 93

विषय: विषय 'नई राष्ट्रीय मोटर नीति' से संबंधित दिनांक 09.07.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 2536 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

09 जुलाई, 2019 को श्री जी. एम. सिद्देश्वर संसद सदस्य ने भारी उद्योग मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 2536 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा भारी उद्योग मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) ने अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के का.ज्ञा. सं. 9(20)/2019-AEI/19732 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"एक मसौदा राष्ट्रीय मोटर वाहन नीति तैयार की गई थी और हितधारकों की टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करने के लिए डीएचआई (www.dhi.nic.in) की वेबसाइट पर रखी गई थी। हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर, इस नीति पर आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया गया है। हालाँकि, सरकार अपनी एफएएमई योजना के माध्यम से हरित विनिर्माण को लगातार बढ़ावा दे रही है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुन: अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 27.08.2021

नई दिल्ली:

अनुलग्नक

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2536
जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

नई राष्ट्रीय ऑटो नीति

2536. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरा:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जल्द ही एक नई राष्ट्रीय ऑटो नीति लाई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर उत्सर्जन के अनुपात में कराधान करने और एक प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष पर्यावरणानुकूल सहायता संबंधी रूपरेखा रखने पर विशेष बल दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त नीति तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ङ): भारी उद्योग विभाग द्वारा एक मसौदा राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति तैयार कर ली गई है और भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर रखी गई है। यह मसौदा नीति अपने आप में पूर्ण है और ऑटो मिशन योजना 2016-26 के उद्देश्यों को पूरा करने में ऑटोमोटिव उद्योग के हितों का समाधान करती है। कोई भी नीति को सामान्यतः स्टेकहोल्डरों से उपयुक्त परामर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है।

*****

परिशिष्ट - सात

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 94

विषय: *"बैटरी चलित रथ" विषय से संबंधित दिनांक 08.05.2015 अतारांकित प्रश्न सं. 7114* के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

8 मई, 2015 को श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी, संसद सदस्य ने रक्षा मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 7114 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) ने अपने दिनांक 10.11.2020 के का.ज्ञा. सं. डीआरडीओ/डीपीए/30102/एलएसयूएस/एएसएसयूआरएएनसीई/65/2015 के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

> "केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधानपीठ ओएसं. 1304/2017 और ओए सं. 3689/2017 तथा एमओडी/डी (वीआईजी) ऑर्डर सं. 03/डीओ (वीआईजी)/सीवीसी/14 दिनांक 25/042019 अनुशासन प्राधिकरण ने आरोप पत्र रद्द करने का निर्णय किया और सभी कार्यवाहियों को रोक दिया गया है ।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रक्षा राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 27.08.2021
नई दिल्ली

अनुबन्ध।

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 7114
08 मई, 2015 को उत्तर के लिए

बैटरी-चालित रथ

7114. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रयोगशाला के अनुसंधान और विकास स्थापना (इंजीनियर्स) विभाग ने एक हाई-टेक बैटरी-चालित रथ विकसित करके उसे दान में दिया है; .

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैटरी-चालित रथ के विकास में कुल कितनी लागत आई है और किस, संगठन ने इस परियोजना का वित्तपोषण किया है;

(ग) क्या उक्त बैटरी-चालित रथ विकसित करने और उसे किसी धार्मिक निकाय को दान में देने की जानकारी सरकार को देकर अनुमति प्राप्त की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)

(क) से (ङ): अनुसंधान और विकास स्थापना (इंजीनियर्स) द्वारा हाई-टेक रथ के विकास से संबंधित मामला जांचाधीन है । इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

****

परिशिष्ट - आठ

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 95

विषय: *"कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति " विषय से संबंधित दिनांक 15.09.2020 अतारांकित प्रश्न सं.* 402 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

15.09.2020 को श्री रमेश चन्द्र कौशिक संसद सदस्य ने ग्रामीण विकास मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 402 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 24.03.2021 के फा. सं. एच-11016/01/2020-पीपीएम के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

> "इस मंत्रालय ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय कोविड के प्रभाव का आकलन नहीं कर रहा है । अतः इसका उत्तर आश्वासन नहीं है ।"

4. उपरोक्त के इष्टिगत, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 27.08.2021
नई दिल्ली

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 402

(15 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कोरोना महामारी के कारण आर्थिक क्षति

402. **श्री दिलीप शइकीया:**

श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरोना महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतम आर्थिक नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उक्त स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिनांक 31.08.2020 को जारी राष्ट्रीय आय के नवीनतम तिमाही अनुमानों के अनुसार, 2019-20 की क्यू.-1 की तुलना में अप्रैल-जून 2020-21 (तिमाही-1:क्यू-1) के दौरान आधारभूत मूल्यों पर भारत के सकल संवर्धित मूल्य (जीवीए) में 22.8 प्रतिशत की कमी हुई है। अपितु, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की श्रेणी के लिए आधारभूत मूल्यों पर जीवीए में 2019-20 की क्यू-1 की

तुलना में 2020-21 के क्यू-1 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित अनुमान तथापि उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ऊपर उल्लिखित आधारभूत मूल्यों पर जीवीए के अनुमानित आंकड़े निम्नानुसार दिये गये है:

आधारभूत मूल्यों (2011-12 की कीमतों पर) पर जीवीए का अनुमान [रु करोड़ में]	**अप्रैल-जून (क्यू-1) 2019-20**	**अप्रैल-जून (क्यू-1) 2020-21**
आधारभूत मूल्यों पर जीवीए	33,07,707	25,53,320
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	4,39,843	4,54,658

(ग) और (घ): मंत्रालय ने आज तक इस संबंध में कोई आंकलन नहीं किया है।

(ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार-सृजन, आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के कौशल-निर्माण, सामाजिक सहायता के प्रावधान, अवसंरचना के विकास आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई),श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आदि योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है।

योजनाएं	**अखिल भारत**	
	वास्तविक	**वित्तीय**
मनरेगा योजना	सृजित श्रम दिवस: 20061.25 लाख	केंद्रीय रिलीज : 60472.66 करोड़ रू.
पीएमएवाई-जी	कुल निर्मित मकान :1082683	उपयोग की गई निधि : 15919.59 करोड़ रू.
पीएमजीएसवाई	निर्मित सड़क लंबाई : 4928 कि.मी.	व्यय : 6,954.43 करोड़ रू.
डीएवाई-एनआरएलएम	प्रोत्साहित एसएचजी : 134598	केंद्रीय रिलीज : 243254.53 लाख रू.

□□यू-जीकेवाई	प्रशिक्षित लाभार्थी : 2,881	रिलीज की गई निधि : 41170.55 करोड़ रू.
एनएसएपी	लाभार्थियों की सं. : 282 लाख	2814 करोड़ रू.
एसपीएमआरएम	आवंटित/अनुमोदित क्लस्टरों की सं.: शून्य	तालमेल और महत्वपूर्ण पूरक वित्तपोषण पर व्यय : 887.77 करोड़ रू.

उपर्युक्त के अतिरिक्त मंत्रालय ने कोवि□-19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न समस्याओं के उपशमन के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं :-

1. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)**	सरकार ने कोरोना वायरस के विरूद्ध लड़ने में गरीबों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिनांक 26.03.2020 को 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का संबंध है पैकेज के अंतर्गत 2 घटक है (1) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के मौजूदा वृद्ध, विधवा, विकलांग/दिव्यांग जन लाभार्थियों को 2 किस्तों (प्रत्येक 500/-) में 1000 रू. की अनुग्रह राशि प्रदान करना। एनएसएपी प्रभाग ने एनएसएपी योजनाओं के मौजूदा 282 लाख लाभार्थियों के लिए अप्रैल, 2020 में प्रथम किस्त के रूप में और मई, 2020 में दूसरी किस्त के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुग्रह राशि के रूप में कुल 2814.50 करोड़ रू. रिलीज किए थे। (2) 20.61 करोड़ महिला पीएमजे□ीवाई खाताधारकों के खातों में तीन महीनों के लिए प्रत्येक माह 500 रू. अंतरित किए गए। कुल 30,944.61 करोड़ रू. की राशि अंतरित की

	गई है।
2. आत्मनिर्भर भारत अभियान	माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉक□ाउन के पश्चात भारत को अपने 5वें संबोधन में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रू. के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत इस पैकेज की घोषणा की गई है।
क. मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रू. तक की वृद्धि करना	सरकार ने मजदूरी रोजगार के माध्यम से आय का प्रावधान करते हुए कोवि□-19 महामारी से निपटने के लिए मनरेगा योजना के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रू. की वृद्धि की है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी तक कुल 184 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।
ख. मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर में वृद्धि	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन की मजदूरी 182 रू. से ब□ाकर 202 रू. कर दी गई है।
3. गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए)	इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण नागरिकों को आजीविका अवसर प्रदान करने के लिए चयनित छह राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रु. के प्रावधान से दिनांक 20.06.2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया था और दिनांक 13.09.2020 तक इन जिलों में 23,767.32 करोड़ रू. का व्यय किया गया है।

*****

परिशिष्ट – नौ

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 96

विषय: 'रेलवे परियोजनाएं ' से संबंधित दिनांक 27 नवंबर, 2019 के तारांकित प्रश्न सं. 130 (श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

---

27 नवंबर, 2019 को श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 130 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. चर्चा के दौरान, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से

निम्नलिखित अनुरूपक प्रश्न पूछा :-

"धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ में रेल क्षेत्र के विकास के लिए रेल बजट में सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन यह काम तो शुरू नहीं हो पाया है और जो काम शुरू हुआ है, वह काफी धीमी गति से किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना के कार्यान्वयन में जो भी सरकारी-प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनका समाधान संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय सांसदों के परामर्श के साथ किया जाना चाहिए ताकि जनता को तत्काल लाभ मिल सके ।"

3. उत्तर में, तत्कालीन रेल मंत्री (सुरेश चन्नाबसप्पा अंगडी) ने निम्नवत: बताया :-

"रेलवे को उपलब्ध कराई गई जमीन पर काम शुरू किया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य को कोई समस्या है तो मैं संबंधित प्राधिकारियों से माननीय सदस्य से बात करने के लिए कहूंगा।"

4. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

5. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 24 मार्च, 2021 के का.ज्ञा. सं. 2019/डब्ल्यू2/एसईसीआर/पीक्यूएल/44 (3305857) के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"इस सवाल का जवाब देते हुए माननीय मंत्री ने सलाह दी कि अगर माननीय सदस्य को कोई समस्या है तो संबंधित अधिकारियों से उनसे बात करने के लिए कहा जाएगा । इसलिए, इसे आश्वासन नहीं माना जाना चाहिए। "

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 27/08/2021

नई दिल्ली

अनुबन्ध

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2019 के

तारांकित प्रश्न सं. 130 का उत्तर

रेल परियोजनाएं

*130. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में कार्यान्वित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है और उन पर आने वाली अनुमानित लागत और किया गया व्यय कितना है तथा उनके पूरे होने की निर्धारित तिथि क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.130 के भाग (क) और (ख) के उत्तर - संबंधित विवरण।

(क) और (ख): इस समय, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 8 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें 1,382 कि.मी. की लंबाई शामिल है और जिनकी लागत 21,046 करोड़ रु. है और 9 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें 1,394 कि.मी. की लंबाई शामिल है और जिनकी लागत 13,320 करोड़ रु. है, योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 384 कि.मी. लंबाई की लाइनें चालू कर दी गई हैं और मार्च 2019 तक इन पर 6,985 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 में इन परियोजनाओं के लिए 2926.92 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

इन परियोजनाओं की स्थिति परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, पेड़ काटने की अनुमति, बाधक उपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग और तत्परता, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं। अतः, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****

इन परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्रीमती ज्योत्स्ना महन्तदास महंत द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.130 के भाग (क) और (ख) के उत्तर संबंधित परिशिष्ट।

1. छत्तीसगढ़ में चालू नई लाइन/दोहरीकरण/तीसरी लाइन/चौथी लाइन संबंधी निर्माण कार्य:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च 19 तक व्यय (करोड़ रु. में)	परिव्यय 19-20 (करोड़ रु. में)
1	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर	235.00	3795.00	923.02	500.00
	दल्लीराजहरा-रोवघाट: 42 किलोमीटर खंड चालू कर दिया गया है। उपलब्ध भूमि में कार्य शुरू कर दिया गया है। रोवघाट-जगदलपुर: कार्य को बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) एसपीवी के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और वानिकी क्लीयरेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण और वानिकी मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।				
2	बरवाडीह-चिरिमिरी	182.00	1147.00	0.00	0.20
	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (सीआरसीएल) जेवी को कार्य निष्पादन के लिए चिह्नित किया गया है। परियोजना की आर्थिक व्यवहारिकता और व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसके बाद सीआरसीएल बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा कि परियोजना को आगे शुरू किया जाए या नहीं।				
3	गेवरा रोड-पेन्ड्रा रोड दोहरीकरण सहित नई लाइन	270.00	4919	620	600
	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) एसपीवी के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और वानिकी क्लीयरेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। उपलब्ध भूमि में मिट्टी, आरओबी/आरयूबी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।				
4	खरसिया-धरमजयगढ़ (नया दोहरीकरण) स्पर सहित धरमजयगढ़-गारे पेल्मा (नई लाइन)	146.00	3055.15	1631.13	500.00
	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एसपीवी के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जा रहा है। खरसिया-कोरिआपर (42.5 कि.मी.) चालू कर दी गई है। शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।				

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च 19 तक व्यय (करोड़ रु. में)	परिव्यय 19-20 (करोड़ रु. में)
5	रायपुर-झारसुगुड़ा	310.00	2171.00	0.00	0.20
	परियोजना को अपेक्षित सरकारी अनुमोदनों के अध्यधीन बजट में शामिल किया गया। ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे परियोजना की 50% लागत साझा करें और निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार से अब तक सहमति प्राप्त नहीं हुई है।				
6	धर्मजयगढ़-कोरबा (उरगा)	62.50	1686.22	0.00	200.00
	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एसपीवी के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और वानिकी क्लीयरेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। वित्तीय समापन, भूमि अधिग्रहण और वानिकी क्लीयरेंस मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा।				
7	कटघोरा-डोंगरगढ़	294.53	5950.47	0.00	100.00
	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (सीआरसीएल) जेवी के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जा रहा है।				
8	चिरिमिरी-नागपुर हॉल्ट	17.00	241.00	0.00	2.00
	भूमि अधिग्रहण और वानिकी क्लीयरेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण और वानिकी क्लीयरेंस मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा।				
ख	दोहरीकरण				
9	बिलासपुर में फ्लाईओवर सहित खोडरी-अनूपपुर	72.00	446.21	237.33	2.00
	खोडरी-अनूपपुर : चालू कर दी गई है। बिलासपुर में फ्लाईओवर का कार्य शुरू कर दिया गया है।				
10	मंदिर हसौद-नया रायपुर-केन्द्री सहित (20 कि.मी.) रायपुर-टिटलागढ़ (203 कि.मी.) और रायपुर (केन्द्री)-धमतरी एवं अभानपुर-राजिम (67.20 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए नया सामग्री आशोधन।	290.20	1814.80	1017.45	82.00
	रायपुर-टिटलागढ़ : 109 कि.मी. शेष खंड चालू कर दिया गया है। शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है। मंदिर हसौद-नया रायपुर-केन्द्री: कार्य शुरू कर दिया गया है।				

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च 19 तक व्यय (करोड़ रु. में)	परिव्यय 19-20 (करोड़ रु. में)
	रायपुर (केन्द्री)-धमतारी एवं अभानपुर-राजिम: भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है।				
11	चम्पा-झारसुगुड़ा तीसरी लाइन	152.38	1226.51	1014.42	52.00
	97 कि.मी. चालू कर दी गई है। शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।				
12	जगदलपुर-किरंदूल	150.00	1160.83	622.21	128.52
	62 कि.मी.- चालू कर दी गई है। शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।				
13	जगदलपुर-कोरापुट	110.22	1547.38	271.77	110.00
	43.58 कि.मी. चालू कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण और वानिकी क्लीयरेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।				
14	झारसुगुड़ा-चम्पा-बिलासपुर चौथी लाइन	206.00	1973.66	101.40	200.00
	13 कि.मी. खंड चालू कर दिया गया है। शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।				
15	बिलासपुर (पेन्ड्रा रोड)-अनूपपुर तीसरी लाइन	50.10	393.98	240.08	100.00
	सम्पूर्ण खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।				
16	गोंदिया में रेल लाइन के ऊपर लाइन सहित राजनंदगांव-नागपुर (कालुमना) तीसरी लाइन (228.30 कि.मी.)	228.30	2686.63	305.84	350.00
	भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। उपलब्ध भूमि में कार्य शुरू कर दिया गया है।				
17	गेवरा रोड-पेन्ड्रा रोड	135.00	1970.11	310.00	100.00
	टिप्पणी: गेवरा रोड-पेन्ड्रा रोड के दोहरीकरण कार्य को नई लाइन संबंधी कार्य के साथ जोड़ दिया गया है क्योंकि एसपीवी द्वारा इसका एक साथ निर्माण किया जा रहा है।				

2. छत्तीसगढ़ में यांत्रिक निर्माण कार्य:

छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ने वाले कारखाने और उत्पादन इकाइयों से संबंधित 276 करोड़ रु. की लागत वाली 11 परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

3. छत्तीसगढ़ में रेल बिजली संबंधी निर्माण कार्य:

मरौदा-दल्लीराजहरा (76 कि.मी.) खंड का रेल विद्युतीकरण शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना की नवीनतम लागत 75.96 करोड़ रु. है। कार्य शुरू कर दिया गया है।

xxxxx

(Q. 130)

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ में रेलवे क्षेत्र के विकास को लेकर सभी परियोजनाओं को रेल बजट में मंजूरी तो मिल गई है, परन्तु काम या तो शुरू नहीं हुआ है या जो काम शुरू हो गया है, वह बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि योजना क्रियान्वयन में जो भी शासकीय-प्रशासकीय व्यवधान आ रहे हों, उनको क्षेत्रीय सांसदों के साथ संबंधित अधिकारी मिलकर निराकरण करें, ताकि जनमानस को तत्काल व्यवस्थाएं एवं लाभ मिल सके।

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, for any progress of the railways in the States, the State Government concerned should also cooperate. Availability of land is the subject of the State. The work can be started on the land made available to the Railways. If the hon. Member has any problem, I will ask the authorities concerned to talk to the hon. Member.

SHRI M. K. RAGHAVAN : Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Kozhikode railway station had been upgraded years back as a world class station. The Government of India has announced the redevelopment project for Kozhikode railway station. Now, the proposal of the project has been transferred to Railway Land Development Authority (RLDA), Delhi from railway headquarters, Chennai. Through you, Sir, I would like to know from the hon. Minister the current status of the mentioned project and when the project will take off.

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, we are going to develop almost all the railway stations as world class railways stations. The hon. Member has asked about a specific station. I will send him all the details in this regard.

परिशिष्ट - दस

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं.97

विषय: विषय ' ब्रॉड गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य ' से संबंधित दिनांक 17.07.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 3988 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

17 जुलाई,2019 को श्री अब्दुल खलिक संसद सदस्य ने रेल मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 3988 पूछा।प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 4 जून ,2020 के का.ज्ञा. सं. 2019/डब्लू - 1/न एफ आर /पी क्यू एल /बीएस एल /8 के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है/निम्नवत् बताया:-

"बोंगईगांव से अघोरी वाया बारपेटा, हाजो, सार्थेबाड़ी (136 किमी) तक नई लाइन के सर्वेक्षण की सर्वेक्षण रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड के कार्यालय में जांच की गई और रेलवे बोर्ड ने कोई परिचालन लाभ नहीं होने और वित्तीय रूप से अव्यवहारिक होने के कारण परियोजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुन: अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक:27-08-2021

नई दिल्ली

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3988 का उत्तर

ब्रॉड गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य

3988. श्री अब्दुल खालेकः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में बारपेटा नगर जो कि कर्नल गुरू प्रसाद दास जिन्होंने 1930 में रेल निर्वात ब्रेक की खोज की थी का जन्म स्थल है जिसे अभी तक रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जोगीघोपा-गुवाहाटी बरस्ता बरपेटा, हाजो से नई ब्रॉड गेज लाइन हेतु प्रारंभिक अभियांत्रिकी सह यातायात सर्वेक्षण किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और इसे रेलवे बोर्ड को सौंप दिया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बोंगाईगांव से अघोरी बरस्ता बरपेटा, हाजो, सारथीबाडी हेतु अन्य सर्वेक्षण किया है जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

ब्रॉड गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री अब्दुल खालेक के अतारांकित प्रश्न सं. 3988 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेलवे परियोजनाएं लाभप्रदता, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लाइनों और वैकल्पिक मार्गों, भीड़-भाड़/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर शुरू की जाती है जोकि चालू परियोजनाओं के थ्रोफार्वड और संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है हालांकि, बारपेटा शहर रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं है किन्तु बारपेटा रोड़ रेलवे स्टेशन बारपेटा शहर से मात्र 19 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

(ख) और (ग): बारपेटा-सरथेबारी-हाजो (136 किमी.) के रास्ते जोगीघोपा से गुवाहाटी तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 2011-12 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत (-) 11.95% के प्रतिफल की दर सहित 1298 करोड़ रु. आंकलित की गई थी। इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि यह वित्तीय रूप से अव्यवहार्य था और भारतीय रेल के पास चल रही नई लाइन परियोजनाओं का भारी बकाया है।

(घ) और (ङ): बारपेटा हाजो, सरथेबारी (136 किमी.) के रास्ते बोंगाईगांव से अगहोरी तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण जनवरी, 2018 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत (-) 8.18% के प्रतिफल की दर सहित 3336 करोड़ रु. का आंकलन किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट की पूरी तरह जांच करने के पश्चात अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

*****

परिशिष्ट -ग्यारह

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 101

विषय: 'रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन' से संबंधित दिनांक 04.05.2016 के अतारांकित प्रश्न सं. 1760 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

04 मई 2016 को श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 1760 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2 समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 28.01.2021 के का.ज्ञा. सं. 2020/एसईसी(एसपीएल)/120/14 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"यात्री संबंधी अपराधों से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सशक्त बनाने के लिए आरपीएफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव 18 राज्यों से समर्थन नहीं मिलने के कारण अमल में नहीं लाया जा सका। रेल मंत्रालय राज्यों के विरोध को देखते हुए तत्काल मामले में आगे नहीं बढ़ सका।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक:. 27-08-2021

नई दिल्ली

अनुबन्ध-I

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1760
04.05.2016 को दिया जाने वाला उत्तर

रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन

1760. श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और पुलिसिंग के पुनर्गठन और कायाकल्प को अत्यधिक आवश्यकता है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरपीएफ को रेल नेटवर्क में अपराध की समस्या से निपटने के लिए अधिक कानूनी सहायता चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेलवे सुरक्षा बल के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 04.05.2016 को लोक सभा में श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.1760 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) से (ग): गाड़ियों और रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करना, मामले को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से करती हैं। रेलें संबंधित राज्यों के साथ राजकीय रेल पुलिस की लागत में 50% हिस्सेदारी वहन करने के अलावा, यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जरिए राज्यों के कार्यों में सहायता करती है। इसके अलावा, रेलपथों, पुलों, सुरंगों की सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था संबंधी अन्य मामलों के लिए संबंधित जिला पुलिस उत्तरदायी होती है।

कानून लागू करने वाली एजेंसियों की बहुलता, इन एजेंसियों की भूमिका और उत्तरदायित्व की ओवरलैपिंग, अंतर-राज्यीय समन्वय की समस्या, जनशक्ति एवं संसाधनों की डुप्लीसिटी को देखते हुए कभी-कभी यात्रियों के बीच प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) आदि के पंजीकरण के संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है।

आरपीएफ को यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की अभिरक्षा और सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसके लिए विधिक शक्तियों का अनुपालन किए बिना वर्ष 2003 में आरपीएफ अधिनियम और रेल अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, जिससे यात्रियों के प्रति अपराध को नियंत्रित करने में प्रमुख बाधा आ रही है। भारतीय रेलों पर यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए, आरपीएफ को यात्रियों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विधिक शक्तियों की जरूरत है।

रेल मंत्रालय ने विधि और न्याय मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की सहमति से यात्री क्षेत्र में यात्रियों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए आरपीएफ को शक्तियां प्रदान करने के लिए आरपीएफ अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, उक्त प्रस्ताव पर राज्यों की टिप्पणियां मांगी गई हैं। अभी तक 26 राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने आरपीएफ अधिनियम में संशोधन का विरोध किया है, 07 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दे दी है, 01 संघ शासित प्रदेश ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और 06 राज्यों से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, गृह मंत्रालय ने हाल ही में आरपीएफ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर अपना विरोध प्रकट कर दिया है। रेल मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

****

परिशिष्ट - बारह

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 102

विषय: *"तेजस एक्सप्रेस" विषय से संबंधित दिनांक 26.07.2017 अतारांकित प्रश्न सं.* 1663 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

26.07.2017 को श्री वेंकटेश बाबू टी.जी. संसद सदस्य ने रेल मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 1663 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.03.2021 के का.ज्ञा. सं. 2019/सीएचजी/28/46 के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

"आईआरसीटीसी द्वारा 04 अक्तूबर, 2019 से 82501/82502 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत के साथ आश्वासन के एक भाग को पूरा कर दिया गया है । तथापि, इस मंत्रालय ने नई दिल्ली-चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस के शुरु करने के संदर्भ में आश्वासन को पूरा करने के लिए और अधिक समय दिए जाने का अनुरोध किया था । इस बीच, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लग गया और भारतीय रेल ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए 23.03.2020 से सभी नियमित यात्री ट्रेनों का परिचालन रोक दिया था । ट्रेन सेवाओं का परिचालन रोकने से पहले नई दिल्ली-चंडीगढ़ सेक्टर के बीच तीन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों अर्थात् 12005/12006 नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस (वाया चंडीगढ़), 12011/12012 नई दिल्ली -कालका शताब्दी एक्सप्रेस (वाया चंडीगढ़) तथा 12045/12046 नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा था ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल ने निजी-सरकारी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से निजी ट्रेन आपरेटर द्वारा 150 यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरु करने का निर्णय किया है । इसे चंडीगढ़ क्लस्टर (क्लस्टर-5) सहित12 क्लस्टरों में बांटा गया है जिसमें नई दिल्ली-

चंडीगढ़ रुट पर दो ट्रेनों के शामिल किया गया है ।

अतः प्रस्तावित 22425/22426 नई दिल्ली-चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस को शुरु करना संभव नहीं होगा । "

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांकः 27.08.2021
नई दिल्ली

अनुबंध

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1663

26.07.2017 को दिया जाने वाला उत्तर

तेजस एक्सप्रेस

1663. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेजस एक्सप्रेस नामक रेल गाड़ी की शुरूआत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त रेलगाड़ी के हेडफोन चुराए गए हैं तथा इनफोटेनमेंट स्क्रीन को क्षति पहुँचाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या दक्षिण भारत सहित अन्य रास्तों पर और अधिक तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शुरूआत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

(क): जी हां। अभी तक, 1 तेजस एक्सप्रेस अर्थात् 22119/22120 मुंबई सीएसटी-करमाली तेजस एक्सप्रेस को 22.05.2017 से शुरू किया गया है।

(ख) एवं (ग): अभी तक हैडफोन चोरी होने से संबंधित कोई भी मामला रेल सुरक्षा बल को रिपोर्ट नहीं किया गया है। बहरहाल, 10.06.2017 को तेजस एक्सप्रेस के सी-11 सवारी डिब्बे की एलसीडी स्क्रीन के क्षतिग्रस्त होने का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 10.07.2017 को रेसुब पोस्ट दादर में रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 (बी), 145 (सी) एवं 147 के तहत सीआर. सं. 1632/2017 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उस अभियुक्त को क्षतिपूर्ति लागत के रूप में रेल प्रशासन

को 22,000/- रु. का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अभियुक्त द्वारा 18.07.2017 को क्षति लागत जमा करा दी गई है।

(घ) एवं (ङ): 2 और तेजस एक्सप्रेस गाड़ियों अर्थात् 22425/22426 नई दिल्ली-चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन) एवं 12585/12586 लखनऊ-आनंद विहार (ट) तेजस एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन) को चलाए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। आवश्यक क्लीयरेंस मिलने और संसाधन के प्राप्त होते ही इन गाड़ियों को शुरू किया जाएगा।

****

परिशिष्ट - तेरह

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 103

विषय: विषय 'टेलीछेरी मैसूर रेल लाईन' से संबंधित दिनांक 02.01.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 3669 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

02 जनवरी, 2019 को श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन संसद सदस्य ने रेल मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 3669 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2021 के का.ज्ञा. सं. 2018/W-1/PQL/SR/3669 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "कर्नाटक सरकार ने अभी तक थालासेरी-मैसूर नई लाइन के संशोधित संरेखण को मंजूरी नहीं दी है। परिणामस्वरूप केआरडीसीएल के लिए अद्यतन सर्वेक्षण पूरा करना संभव नहीं है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 27/08/2021

नई दिल्ली:

अनुबन्ध

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.01.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3669 का उत्तर

तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन

3669. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

(क) और (ख): केरल सरकार और रेल मंत्रालय की संयुक्त उद्यम कंपनी केरल, रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत थालासेरी- पिरियापटना (मैसूर) नई लाइन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट भूमि पर कोई सर्वेक्षण किए बिना जनवरी 2018 में तैयार की गई है और कमजोर ईकोसिस्टम तथा संरक्षित वन क्षेत्र/अभ्यारण्यों वाले वन्य जोन में रेलवे लाइन के प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया गया है। स्थानीय लोग भी इस प्रस्तावित संरेखण, जो कर्नाटक राज्य से होकर गुजरता है, के विरूद्ध आंदोलन कर रहे हैं। तदनुसार, केआरडीसीएल को कर्नाटक सरकार सहित सभी स्टेक होल्डरों के साथ वन्य स्वीकृतियों और संरेखण से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने और उसके उपरांत इस रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए कहा गया है ताकि प्रस्तावित नई लाइन पर समुचित ढंग से विचार किया जा सके।

*****

परिशिष्ट - चौदह

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 108

विषय: 'रेलवे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज' से संबंधित दिनांक 10.05.2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 5631 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

10 मई 2012 को श्री बालकृष्ण के. शुक्ला, और अन्य संसद सदस्यों ने रेल मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 5631 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2 समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 10.06.2020 के का.ज्ञा. सं. 2012/एच-1/14/20/एलएस के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"बजट घोषणा को लागू करने के लिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए मझेरहाट (कोलकाता) में एक भवन का निर्माण किया गया है और निजी संगठनों को एक खुले विज्ञापन के माध्यम से रेलवे भवन में नर्सिंग कॉलेज चलाने हेतु अपनी-अपनी बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि, किसी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई ।

शुरू में माजेरहाट (कोलकाता) में नर्सिंग कॉलेज चलाने का प्रस्ताव रखने वाले पश्चिम बंगाल सरकार को जब नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने रेलवे द्वारा निर्धारित किसी भी **नियम और शर्तों, विशेष रूप से रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 50% सीटों के** आरक्षण, को स्वीकार नहीं किया ।

अन्य स्थानों जैसे दिल्ली, मुंबई (कल्याण), चेन्नई, सिकंदराबाद, लखनऊ और जबलपुर के नर्सिंग कॉलेजों के लिए विभिन्न क्षेत्रों (जोन) को सलाह दी गई थी कि वे नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना में निजी भागीदार की रुचि जानने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करें। हालांकि, प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक नहीं रही थी। इसके अलावा, दिल्ली में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है और जबलपुर में सेंट्रल रेलवे अस्पताल में भारतीय नर्सिंग परिषद के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में बिस्तर नहीं हैं।

यहां यह उल्लेख करना भी विवेकपूर्ण है कि एमसीआई मानदंडों के अनुसार 'कोई भी संगठन जिसके पास अपना 100 बिस्तर वाला अस्पताल हैं बी.एससी. (एन) कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए पात्र है । हालांकि, भारतीय नर्सिंग परिषद ने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना में पीपीपी की भूमिका पर अपने दिशा-निर्देशों में कुछ भी नहीं बताया है ।

पीपीपी मोड पर रेलवे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से संबंधित आंशिक आश्वासन छोड़ दिया गया है और केवल नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित आंशिक आश्वासन लंबित है।

चूंकि, रेलवे पहले से ही अपने निहित ढांचे के माध्यम से दोनों, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है; इसलिए रेलवे को नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है। इसके अलावा, नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए पीपीपी पर किसी दिशा-निर्देश और रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु किसी प्रावधान के अभाव में 'पीपीपी मोड पर नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना' का आश्वासन छोड़ना लाभकर होगा।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्री के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 27-08-2021
नई दिल्ली

अनुलग्नक

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5631
10.05.2012 को दिया जाने वाला उत्तर

रेलवे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज

5631 श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला :
श्री हरिन पाठक :
श्री रूद्रमाधव राय :
श्री राधे मोहन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों पर रेलवे द्वारा मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कालेजों की स्थापना किए जाने संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त कालेजों का वित्त पोषण पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाएगा अथवा यह कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी तरीके से किया जाएगा;

(ग) प्रारंभ में प्रस्तावित रेलवे मेडिकल कालेजों/नर्सिंग कॉलेजों में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु कितने छात्रों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या संबंधित राज्य में लागू नियमों के अनुसार उक्त कालेजों में प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ड.) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय इस संबंध में कोई नई नीति तैयार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा)

(क) मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए पांच स्थानों यथा खड़गपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, चेन्नै और सिकंदराबाद की पहचान की गई है। खड़गपुर में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु बोलियां आमंत्रित की गई थीं। बहरहाल, निविदा तकनीकी आधार पर बर्खास्त कर दी गई

थी। इसके लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है। चरण-1 में चार अन्य स्थानों के लिए जोनल रेलें परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई कर रही है। शेष स्थानों यथा अहमदाबाद, बिलासपुर, बारासात, भुवनेश्वर, मैसूर, डिब्रूगढ़, जोधपुर, बी.आर. सिंह अस्पताल, गार्डन रीच, नागपुर, भोपाल, जम्मू और त्रिवेंद्रम पर बाद में कार्य शुरू किया जाएगा।

मजेरहाट, कोलकाता में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली, लखनऊ और जबलपुर में नर्सिंग कॉलेज के लिए जोनल रेलों को अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हो गई है और मुम्बई के लिए कोई अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं हुई।

(ख) रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(ग) से (च) परामर्शदाताओं से रिपोर्ट प्राप्त होने और इस मंत्रालय द्वारा उनकी जांच कर लेने के बाद तदनंतर में इन मुद्दों के संबंध में निर्णय किया जाएगा।

*****

परिशिष्ट-पंद्रह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दसवीं बैठक

(28.09.2021)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1615 बजे तक समिति कक्ष "सी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौंशलेन्द्र कुमार
5. श्री संतोष पांडेय
6. श्री एम.के. राघवन
7. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री लवकेश कुमार शर्मा - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

साक्षी

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 47 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों /विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने; (ii) लंबित आश्वासनों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

2. तत्पश्चात, समिति ने आश्वासनों को छोड़ने या न छोड़ने हेतु 47 आश्वासनों वाले उक्त 20 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 89 से 108 तक) को विचारार्थ लिया। कुछेक ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात समिति ने माननीय सभापति को शेष ज्ञापनों पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया। तत्पश्चात, सभापति ने निर्णय लिया कि अनुबंध-एक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 39 आश्वासनों को छोड़ दिया जाए तथा अनुबंध-दो* में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शेष 08 आश्वासनों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासनों को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाए।

3. XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4. XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5. XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
6. XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
7. XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
8. XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
9. XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

* इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है ।

अनुबंध-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) द्वारा 28.09.2021 को हुई अपनी बैठक में छोड़े गए आश्वासनों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	89	(i) अता.प्र.सं. 1903 दिनांक 17.07.2009 (ii) अता.प्र.सं. 462 दिनांक 23.11.2009 (iii) अता.प्र.सं. 517 दिनांक 23.11.2009 (iv) अता.प्र.सं. 563 दिनांक 23.11.2009 (v) अता.प्र.सं. 3448 दिनांक 16.08.2010 (vi) अता.प्र.सं. 3620 दिनांक 16.08.2010 (vii) अता.प्र.सं. 1950 दिनांक 22.11.2010 (viii) अता.प्र.सं. 4200 दिनांक 06.12.2010 (ix) अता.प्र.सं. 4331 दिनांक 06.12.2010	ग्रामीण विकास	भूमि संसाधन विभाग	(i) भूमि सुधार (ii) भूमि सुधार में उपलब्धि (iii) भूमि सुधार नीति (iv) कृषि भूमि सुधार संबंधी समिति (v) एसईजेड के लिए भूमि का अधिग्रहण (vi) भूमि का अंतरण (vii) कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण (viii) जनजातीय क्षेत्रों में संसाधन (ix) भू- हदबंदी

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
		(x) अता.प्र.सं. 2945 दिनांक 18.08.2011			(x) भूमि सुधार
		(xi) अता.प्र.सं. 4444 दिनांक 30.08.2011			(xi) ठेका कृषि
		(xii) अता.प्र.सं. 3621 दिनांक 15.12.2011			(xii) भूमि बैंक
		(xiii) अता.प्र.सं. 2646 दिनांक 29.03.2012			(xiii) भूमि सुधार संबंधी समिति
		(xiv) अता.प्र.सं. 6739 दिनांक 17.05.2012			(xiv) भूमिहीन लोगों को भू-आबंटन
		(xv) अता.प्र.सं. 302 दिनांक 09.08.2012			(xv) भूमि सुधार हेतु राष्ट्रीय परिषद
		(xvi) अता.प्र.सं. 4352 दिनांक 06.09.2012			(xvi) भूमि सुधार अधिनियम
		(xvii) अता.प्र.सं. 1014 दिनांक 29.11.2012			(xvii) भूमि सुधार नीति
		(xviii) अता.प्र.सं. 1261 दिनांक 12.12.2013			(xviii) भूमि सुधार नीति
		(xix) अता.प्र.सं. 3688 दिनांक 13.02.2014			(xix) बंजर भूमि का विकास
		(xx) अता.प्र.सं. 4231 दिनांक 20.02.2014			(xx) राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
		(xxi) अता.प्र.सं. 2723 दिनांक 12.03.2015 (xxii) ता.प्र.सं. 294 दिनांक 15.03.2018 (xxiii) अता.प्र.सं. 1398 दिनांक 20.09.2020			(xxi) गरीबों को भूमि का आबंटन (xxii) भूमि सुधार (xxiii) राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति 2013
2	90	अता.प्र.सं. 2997 दिनांक 16.03.2016		परमाणु ऊर्जा विभाग	हरीपुर से एनपीपी को अन्य स्थान पर ले जाना
3	91	अता.प्र.सं. 4112 दिनांक 18.08.2010		परमाणु ऊर्जा विभाग	यूरेनियम एवं प्लूटोनियम की खोज
4*	92	(i) अता.प्र.सं. 2410 दिनांक 28.03.2012 (ii) अता.प्र.सं. 6496 दिनांक 16.05.2012 (iii) अता.प्र.सं. 3201 दिनांक 12.12.2012 (iv) अता.प्र.सं. 4154 दिनांक 19.12.2012	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	(i) निजता का अधिकार संबंधी विधेयक (ii) निजता का अधिकार विधेयक (iii) निजता पर एक पृथक विधेयक (iv) व्यक्तियों की निजता संबंधी पैनल

*आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
		(v) अता.प्र.सं. 1714 दिनांक 09.12.2015			(v) निजता का अधिकार विधेयक से छूट
5	93	अता.प्र.सं. 2536 दिनांक 09.07.2019	भारी उद्योग		नई राष्ट्रीय ऑटो नीति
6	94	अता.प्र.सं. 7114 दिनांक 08.05.2015	रक्षा	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	बैटरी चालित रथ
7.	95	अता.प्र.सं. 402 दिनांक 15.09.2020	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास विभाग	कोरोना महामारी के कारण आर्थिक क्षति
8	96	ता.प्र.सं. 130 दिनांक 27.11.2019 (श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेलवे		रेल परियोजनाएं
9*	97	अता.प्र.सं. 3988 दिनांक 17.07.2019	रेलवे		ब्रॉड गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य
10	101	अता.प्र.सं. 1760 दिनांक 04.05.2016	रेलवे		रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन
11	102	अता.प्र.सं. 1663 दिनांक 26.07.2017	रेलवे		तेजस एक्सप्रेस

*आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
12	103	अता.प्र.सं. 3669 दिनांक 02.01.2019	रेलवे		तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन
13	108	अता.प्र.सं. 5631 दिनांक 10.05.2012	रेलवे		रेलवे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज

परिशिष्ट - सोलह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पाँचवीं बैठक

(20.12.2021)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1645 बजे तक सभापति कक्ष, कमरा संख्या '216', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री संतोष पान्डेय
7. श्री एम के राघवन

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पाँच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया:

(i) 'शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 54वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(ii) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 55वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(iii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप 56वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(iv) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप 57वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा); और

(v) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 58वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।

2. समिति ने सभापति को उक्त प्रतिवेदनों को चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करने हेतु भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - सत्रह

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त@

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री लवकेश कुमार शर्मा - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2020 से किया गया है, देखिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 1773.

@श्री पशुपति कुमार पारस केन्द्रीय मंत्री परिषद् में शामिल होने के कारण 7.7.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।